



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 1, 2014/भाद्र 10, 1936

No. 257]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 1, 2014/BHADRA 10, 1936

अधिसूचना

मुम्बई, 01 सितंबर, 2014

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014

सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/07/1414.--भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, अनुसंधान विश्लेषकों को रजिस्ट्रीकृत करने और विनियमित करने हेतु एक ढाँचा निर्धारित करने के लिए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

अध्याय-।

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 कहा जा सकेगा।
- (2) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से नब्बेवें दिन को प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएँ

- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इनमें परिभाषित शब्दों के वही अर्थ होंगे जो नीचे उनके लिए नियत हैं, और उनके सजातीय पदों का अर्थ तदनुसार लगाया जायेगा, —
 - "अधिनियम" से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) अभिप्रेत है;
 - "आस्ति प्रबंध कंपनी" से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 के विनियम 2 के खंड (घ) के अधीन यथा परिभाषित कंपनी अभिप्रेत है;
 - "सहयुक्त" से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 में यथा परिभाषित सहयुक्त (एसोशिएट) अभिप्रेत है;

- (d) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अभिप्रेत है;
- (e) "प्रमाणपत्र" से इन विनियमों के अधीन प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;
- (f) "नियंत्रण" से कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथा परिभाषित नियंत्रण अभिप्रेत है;
- (g) "निधि प्रबंधक" में पारस्परिक निधि या आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधि या जोखिम पूँजी निधि या पोर्टफोलियो प्रबंधक के निधि प्रबंधक (फंड मैनेजर) सम्मिलित हैं;
- (h) "स्वतंत्र अनुसंधान विश्लेषक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका एकमात्र कारबार क्रियाकलाप अनुसंधान विश्लेषण या अनुसंधान रिपोर्ट को तैयार करना और/या को प्रकाशित करना है;
- (i) "निरीक्षण प्राधिकारी" से विनियम 27 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त कोई एक व्यक्ति या अधिक व्यक्ति अभिप्रेत हैं;
- (j) "विनिधान सलाहकार" (या "विनिधान (निवेश) सलाहकार") से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (k) "सीमित दायित्व भागीदारी" से सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) के अधीन बनायी गयी और रजिस्ट्रीकृत भागीदारी अभिप्रेत है;
- (l) "मर्चेन्ट बैंककारी या विनिधान (निवेश) बैंककारी या दलाली (ब्रोकेज) सेवाओं" में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,—
- हामीदार के रूप में कार्य करना;
 - निर्गमकर्ता के लिए विक्रय या प्रस्ताव में भाग लेना अथवा अन्यथा निर्गमकर्ता के सार्वजनिक प्रस्ताव को अग्रसर करने में कार्य करना;
 - विलयन या अर्जन में सलाहकार के रूप में कार्य करना;
 - जोखिम पूँजी या इक्विटी या ऋण (डेट) उपलब्ध कराना या का इंतजाम करना;
 - निर्गमकर्ता के लिए प्लेसमेंट एजेंट के रूप में सेवा देना अथवा अन्यथा निर्गमकर्ता के निजी प्रस्ताव (प्राइवेट ऑफरिंग) को अग्रसर करने में कार्य करना;
 - दलाली (ब्रोकेज) या बाजार निर्माण (मार्केट मेकिंग) सेवाओं का प्रस्ताव करना;
- (m) "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी" (या "एनबीएफसी") से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रजिस्ट्रीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अभिप्रेत है;
- (n) "राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान" (या "एनआईएसएम") से बोर्ड द्वारा स्थापित राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान अभिप्रेत है;
- (o) "कीमत लक्ष्य" से विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के भावी प्रदर्शन के संबंध में अनुसंधान विश्लेषक की प्रत्याशाएँ अभिप्रेत हैं;
- (p) "परोक्षी (प्राक्सी) सलाहकार" से वह कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कंपनी के संस्थागत विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) को या शेयरधारकों को, कंपनी में उनके अधिकारों का प्रयोग करने के संबंध में किन्हीं साधनों के माध्यम से, सलाह देता है, जिसमें सार्वजनिक प्रस्तावों (पब्लिक ऑफर) के संबंध में सिफारिशें या कार्यसूची (एजेंडा) मदों के संबंध में मतदान संबंधी सिफारिशें सम्मिलित हैं;
- (q) "लोगों के सामने आना" से कॉन्फ्रेंस कॉल, संगोष्ठी, मंच (फोरम) [जिसमें इंटरएक्टिव और नॉन-इंटरएक्टिव इलैक्ट्रॉनिक मंच (फोरम) सम्मिलित हैं], रेडियो या टेलीविज़न या इंटरनेट या वेब या प्रिंट मीडिया प्रसारण, प्रिंट मीडिया के जरिये लेख लिखने या पब्लिक मीडिया में सार्वजनिक भाषण संबंधी ऐसी अन्य गतिविधि में किसी भी प्रकार से भाग लेना अभिप्रेत है, जिसमें अनुसंधान विश्लेषक प्रतिभूतियों या सार्वजनिक प्रस्ताव से संबंधित कोई सिफारिश करता है या राय देता है :

परंतु यह कि इसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड (संरक्षित) वेबकास्ट, कॉन्फ्रेंस कॉल या ग्राहकों के साथ ऐसे अन्य कार्यक्रम सम्मिलित नहीं हैं, यदि कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों को पहले ही से अनुसंधान रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज प्राप्त हो चुका हो जिसमें अपेक्षित लागू प्रकटीकरण अंतर्विष्ट हों और यह कि कार्यक्रम में आने वाला अनुसंधान विश्लेषक, उस समय जब

वह लोगों के सामने आता है, अनुसंधान रिपोर्ट में निहित ऐसे किन्हीं प्रकटीकरणों को, सही और अद्यतन कर देता है जो गलत हों, भ्रामक हों या लागू न रहे हों;

- (r) "पब्लिक मीडिया" से जनसाधारण के लिए उपलब्ध मीडिया का कोई स्रोत अभिप्रेत है और जिसमें रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, वेब या प्रिंट मीडिया सम्मिलित है;
- (s) "सार्वजनिक प्रस्ताव" में आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, बाद वाला सार्वजनिक प्रस्ताव, विक्रय के लिए प्रस्ताव, विनिवेश (डिसइन्वेस्टमेंट), अधिग्रहण, क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक) या प्रतिभूतियों की असूचीबद्धता सम्मिलित है;
- (t) "नातेदार" से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (77) में यथा परिभाषित व्यक्ति अभिप्रेत है और जो स्वतंत्र अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी द्वारा नियोजित व्यक्ति अनुसंधान विश्लेषक पर आर्थिक रूप से निर्भर हो;
- (प) "अनुसंधान विश्लेषक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध या सूचीबद्ध की जाने वाली प्रतिभूतियों,-
 - i. की बाबत अनुसंधान रिपोर्ट की विषय-वस्तु को तैयार करने या को प्रकाशित करने के लिए; या
 - ii. की बाबत अनुसंधान रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए; या
 - iii. की बाबत 'क्रय करने/विक्रय करने/धारण करने' संबंधी सिफारिश करने के लिए; या
 - iv. की बाबत कीमत लक्ष्य (प्राइस टारगेट) देने के लिए; या
 - v. की बाबत सार्वजनिक प्रस्ताव के संबंध में राय देने के लिए,

प्राथमिक रूप से जिम्मेदार है, फिर चाहे किसी ऐसे व्यक्ति का कार्य संबंधी पदीय नाम 'अनुसंधान विश्लेषक' हो या न हो, और जिसमें अनुसंधान रिपोर्ट या अनुसंधान विश्लेषण को जारी करने में लगी हुई कोई अन्य एंटीटियाँ सम्मिलित हैं।

स्पष्टीकरण.- इस शब्द में ऐसा कोई सहयुक्त व्यक्ति भी सम्मिलित है, जो ऊपर उपबंधित क्रियाकलापों के संबंध में ऐसे अनुसंधान विश्लेषक को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः रिपोर्ट करता है;

- (फ) "अनुसंधान एंटीटी" से बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत मध्यवर्ती अभिप्रेत है, जो मर्चेन्ट बैंककारी या विनिधान (निवेश) बैंककारी अथवा दलाली (ब्रोकेज) सेवाओं या हामीदारी सेवाओं में भी लगा हुआ है और जो अनुसंधान विश्लेषक के रूप में इसके द्वारा नियोजित किये गये व्यष्टियों के माध्यम से अनुसंधान रिपोर्ट या अनुसंधान विश्लेषण को स्वयं अपने नाम से जारी करता है और जिसमें अनुसंधान रिपोर्ट या अनुसंधान विश्लेषण को जारी करने में लगा हुआ कोई अन्य मध्यवर्ती सम्मिलित है;
- (ब) "अनुसंधान रिपोर्ट" से कोई लिखित या इलैक्ट्रॉनिक संसूचना अभिप्रेत है जिसमें प्रतिभूतियों या सार्वजनिक प्रस्ताव से संबंधित अनुसंधान विश्लेषण या अनुसंधान सिफारिश या राय सम्मिलित है, जो विनिधान (निवेश) संबंधी विनिश्चय को आधार देती है, और जिसमें निम्नलिखित संसूचना सम्मिलित नहीं हैं:-
 - (i) प्रतिभूति बाजार में साधारण रुख संबंधी टिप्पणियाँ;
 - (ii) व्यापक आधारीय (ब्रॉड-बेस्ड) सूचकांकों के संबंध में चर्चा;
 - (iii) आर्थिक, राजनैतिक या बाजार की स्थितियों के संबंध में टीका-टिप्पणियाँ;
 - (iv) पारस्परिक निधि या आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधि के यूनिटधारकों अथवा पोर्टफोलियो प्रबंधकों और विनिधान (निवेश) सलाहकारों के ग्राहकों के लिए तैयार की गयी आवधिक रिपोर्टें या अन्य संसूचना;
 - (v) आंतरिक संसूचनाएँ जो वर्तमान या भावी ग्राहकों को नहीं दी जाती;
 - (vi) संसूचनाएँ जो उन प्रस्ताव दस्तावेजों या प्रॉस्पेक्टसों में निहित हैं, जो बोर्ड द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार परिचालित नहीं किये जाते;
 - (vii) कंपनियों के वित्तीय आँकड़ों के सांख्यिकीय सारांश;
 - (viii) किसी क्षेत्र में माँग और पूर्ति अथवा सूचकांक से संबंधित तकनीकी विश्लेषण;
 - (ix) कोई अन्य संसूचना जो बोर्ड समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे;

- (भ) "प्रतिभूतियों" (या "प्रतिभूतियाँ") से प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में यथा परिभाषित प्रतिभूतियाँ अभिप्रेत हैं;
- (म) "महत्वपूर्ण समाचार या घटना" से वह कोई समाचार या घटना अभिप्रेत है जिसके संबंध में यह प्रत्याशित हो कि उसका कंपनी विशेष की आमदनी (उपार्जनों), प्रचालनों या वित्तीय स्थिति पर तात्त्विक प्रभाव हो सकता हो, या जो कंपनी विशेष की आमदनी (उपार्जनों), प्रचालनों या वित्तीय स्थिति में किसी तात्त्विक परिवर्तन को दर्शाती है, अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी से भिन्न, जैसा अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी की आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं में विनिर्दिष्ट है;
- (य) "कंपनी विशेष" से वह कंपनी अभिप्रेत है जिसकी प्रतिभूतियाँ अनुसंधान रिपोर्ट की विषय हों या लोगों के सामने आने की विषय हों;
- (यक) "स्टॉक एक्सचेंज" से प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 4 के अधीन मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अभिप्रेत है;
- (यख) "परव्यक्ति अनुसंधान रिपोर्ट" से अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी से भिन्न किसी व्यक्ति या एंटीटी द्वारा पेश की गयी अनुसंधान रिपोर्ट अभिप्रेत है।
- (2) इन विनियमों में उपयोग किये गये तथा अपरिभाषित किन्तु अधिनियम, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42), कंपनी अधिनियम, 1956 एवं 2013, अथवा उनके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या विनियमों में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो, यथास्थिति, उन अधिनियमों, उनके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों अथवा उनके किसी कानूनी उपांतर या उनकी पुनःअधिनियमिति में क्रमशः उनके लिए नियत हों।

अध्याय-II

अनुसंधान विश्लेषकों का रजिस्ट्रीकरण

प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने के लिए आवेदन

3. (1) इन विनियमों के प्रारंभ से ही, कोई भी व्यक्ति अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी के रूप में कार्य नहीं करेगा या स्वयं को अनुसंधान विश्लेषक के रूप में प्रकट नहीं करेगा जब तक कि उसने इन विनियमों के अधीन बोर्ड से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त न कर लिया हो :

परंतु यह कि इन विनियमों के प्रारंभ से पूर्व अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी के रूप में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे प्रारंभ से छह महीनों की अवधि के लिए या, यदि उसने छह महीनों की उक्त अवधि के भीतर उप-विनियम (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर दिया हो, तो ऐसे आवेदन का निपटारा होने तक, ऐसा करना जारी रख सकेगा :

परंतु यह और कि विनिधान (निवेश) सलाहकार, साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसी, आस्ति प्रबंध कंपनी या निधि प्रबंधक, जो अनुसंधान रिपोर्ट जारी करता हो या अनुसंधान रिपोर्ट जनता को परिचालित/वितरित करता हो या उसका निदेशक या कर्मचारी लोगों के सामने आता हो, से विनियम 3 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की मांग करना अपेक्षित नहीं होगा, इसके अध्येधन कि इन विनियमों के अध्याय-III का अनुपालन किया जाये।

(2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने के लिए आवेदन इन विनियमों की पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप क में किया जायेगा और जिसके साथ अप्रतिदेय आवेदन फीस संलग्न होगी जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से अदा की जायेगी।

भारत के बाहर स्थित किसी व्यक्ति द्वारा अनुसंधान रिपोर्ट जारी करना

4. भारत के बाहर स्थित कोई व्यक्ति, जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध या सूचीबद्ध किये जाने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों की बाबत अनुसंधान रिपोर्ट या अनुसंधान विश्लेषण को जारी करने में लगा हुआ हो, इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत अनुसंधान विश्लेषक के साथ करार करेगा।

अतिरिक्त जानकारी, स्पष्टीकरण देना और व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व

5. (1) बोर्ड आवेदक से, विनियम 3 के उप-विनियम (2) के अधीन दाखिल किये गये आवेदन पर विचार करने के प्रयोजनार्थ, अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण देने की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) आवेदक या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि ऐसा अपेक्षित हो तो, व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व के लिए बोर्ड के समक्ष हाजिर होगा।

आवेदन पर विचार और पात्रता मानदंड

6. प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने के प्रयोजनार्थ, बोर्ड सभी बातों, जो रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने से सुसंगत हों, और विशिष्टतया निम्नलिखित पर विचार करेगा, अर्थात्:-

- (i) क्या आवेदक व्यक्ति है या निगमित निकाय है या सीमित दायित्व भागीदारी फर्म है;
 - (ii) यदि आवेदक व्यक्ति है, तो क्या वह समुचित रूप से अर्हित और प्रमाणित है जैसा विनियम 7 में विनिर्दिष्ट है;
 - (iii) यदि आवेदक निगमित निकाय है, तो क्या अनुसंधान विश्लेषक के रूप में नियोजित व्यक्ति अर्हित और प्रमाणित हैं जैसा विनियम 7 में विनिर्दिष्ट है;
 - (iv) यदि आवेदक भागीदारी फर्म या सीमित दायित्व भागीदारी है, तो क्या अनुसंधान रिपोर्ट या अनुसंधान विश्लेषण को जारी करने में लगे हुए भागीदार अर्हित और प्रमाणित हैं जैसा विनियम 7 में विनिर्दिष्ट है;
 - (v) यदि आवेदक अनुसंधान एंटीटी है, तो क्या अनुसंधान विश्लेषक के रूप में नियोजित व्यक्ति अर्हित और प्रमाणित हैं जैसा विनियम 7 में विनिर्दिष्ट है;
 - (vi) क्या आवेदक विनियम 8 में यथा विनिर्दिष्ट पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं को पूरा करता है;
 - (vii) क्या आवेदक, अनुसंधान विश्लेषक के रूप में नियोजित व्यक्ति और आवेदक के भागीदार, यदि कोई हों, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 की अनुसूची II में यथा विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति हैं;
 - (viii) क्या आवेदक के पास अनुसंधान विश्लेषक के क्रियाकलापों के प्रभावी रूप से निर्वहन के लिए आवश्यक अवसरचना है;
 - (ix) क्या आवेदक या आवेदक से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संबद्ध किसी व्यक्ति को पहले कभी बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र से इंकार किया गया है, और यदि ऐसा है तो ऐसे इंकार के आधार;
- (x) क्या बोर्ड या किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण द्वारा आवेदक या आवेदक से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संबद्ध किसी व्यक्ति के खिलाफ संबंधित अधिनियम, उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन कोई अनुशासनिक कार्रवाई की गयी है।

अर्हता और प्रमाणीकरण संबंधी अपेक्षा

7. (1) इन विनियमों के अधीन अनुसंधान विश्लेषक के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, अनुसंधान विश्लेषक के रूप में नियोजित व्यक्ति और अनुसंधान विश्लेषक के भागीदार, यदि कोई हों, जो अनुसंधान रिपोर्ट या अनुसंधान विश्लेषण को तैयार करने और/या को प्रकाशित करने में लगे हुए हों, के पास, सभी समयों पर, निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएँ होंगी :

- (i) वित्त, लेखा-कर्म, कारबार प्रबंध, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, पूंजी बाजार, वित्तीय सेवाओं या बाजारों के संबंध में :
 - (i) विश्वविद्यालय, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या इस प्रयोजनार्थ भारत में संसद के अधिनियम के अधीन स्थापित किसी अन्य आयोग / परिषद् / बोर्ड / निकाय से मान्यताप्राप्त हो; या
 - (ii) ऐसे विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थान / एसोसिएशन; या
 - (iii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्थान / एसोसिएशन / विश्वविद्यालय; या
 - (iv) भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाले स्वायत्त संस्थानों द्वारा प्रदान की गयी वृत्तिक अर्हता या स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा; या
 - (ii) वृत्तिक अर्हता या स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा, जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद या नेशनल बोर्ड ऑफ एक्सेडिटेशन या इस प्रयोजनार्थ भारत में संसद के अधिनियम के अधीन स्थापित किसी अन्य परिषद् / बोर्ड / निकाय द्वारा प्रत्यायित हो; या
 - (iii) शिक्षा की किसी भी शाखा में स्नातक के साथ-साथ वित्तीय उत्पादों (प्रोडक्ट्स) या बाजारों या प्रतिभूतियों अथवा निधि या आस्ति या पोर्टफोलियो प्रबंधन संबंधी क्रियाकलापों में कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव।
- (2) इन विनियमों के अधीन अनुसंधान विश्लेषक के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, अनुसंधान विश्लेषक के रूप में नियोजित व्यक्ति और अनुसंधान विश्लेषक के भागीदारों, यदि कोई हों, के पास, सभी समयों पर, बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय प्रतिभूति

बाजार संस्थान का अनुसंधान विश्लेषकों संबंधी प्रमाणीकरण या बोर्ड द्वारा समय-समय पर मान्यताप्राप्त अन्य प्रमाणीकरण होगा :

परंतु यह कि इन विनियमों के अधीन अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी, जो पहले ही से अनुसंधान रिपोर्ट या अनुसंधान विश्लेषण को जारी करने में लगी हुई हो, यह सुनिश्चित करेगी कि वह या अनुसंधान विश्लेषक के रूप में उसके द्वारा नियोजित व्यक्ति और/या उसके भागीदार इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से दो वर्षों के भीतर ऐसा प्रमाणीकरण अभिप्रास कर लें :

परंतु यह और कि विद्यमान प्रमाणीकरण की विधिमान्यता के समाप्त होने से पहले नया प्रमाणीकरण अवश्य अभिप्रास कर लिया जाना चाहिए, ताकि प्रमाणीकरण संबंधी अपेक्षाओं के अनुपालन के संबंध में निरंतरता सुनिश्चित हो सके ।

पूंजी पर्याप्तता

8. (1) अनुसंधान विश्लेषक, जो व्यक्ति या भागीदारी फर्म है, की शुद्ध मूर्त आस्तियाँ एक लाख रुपये से कम मूल्य की नहीं होंगी ।
- (2) अनुसंधान विश्लेषक, जो निगमित निकाय या सीमित दायित्व भागीदारी फर्म है, की शुद्ध-मालियत पच्चीस लाख रुपये से कम की नहीं होगी ।
- (3) सभी विद्यमान अनुसंधान विश्लेषक इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूंजी पर्याप्तता अपेक्षा का अनुपालन करेंगे ।

स्पष्टीकरण - इस विनियम के प्रयोजनार्थ, "शुद्ध-मालियत" से समादत्त शेयर पूँजी (पेड-अप शेयर कैपिटल) और खुली आरक्षितियों (फ्री रिज़र्व्स) का कुल मूल्य (पुनर्मूल्यांकन में से सृजित आरक्षितियों को छोड़कर), उसमें से संचित हानियों के कुल मूल्य को घटाकर, अभिप्रेत है ।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करना

9. बोर्ड यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक विनियम 6 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, आवेदक को सूचना भेजेगा और दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण फीस का भुगतान प्राप्त हो जाने पर, पहली अनुसूची के अधीन प्ररूप ख में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करेगा, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन जैसा बोर्ड उपयुक्त और समुचित समझे ।

प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की अवधि

10. विनियम 9 के अधीन प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र इसके जारी किये जाने की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगा ।

प्रमाणपत्र का नवीकरण

11. (1) प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की अवधि के समाप्त होने से तीन महीने पूर्व, अनुसंधान विश्लेषक, यदि वह ऐसा चाहे तो, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण प्रदान किये जाने के लिए प्ररूप क में आवेदन कर सकेगा ।
- (2) उप-विनियम (1) के अधीन नवीकरण के लिए आवेदन पर कार्यवाही उसी रीति से की जायेगी मानो कि यह प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने के लिए विनियम 3 के उप-विनियम (2) के अधीन किया गया आवेदन हो ।

प्रक्रिया जहाँ रजिस्ट्रीकरण से इंकार किया जाता है

12. (1) विनियम 3 के अधीन किये गये आवेदन पर विचार करने के पश्चात्, यदि बोर्ड की यह राय हो कि आवेदक को प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया जाना चाहिये, तो यह आवेदक को सुने जाने का उचित अवसर देने के पश्चात् आवेदन नामंजूर कर सकेगा ।
- (2) आवेदन को नामंजूर करने का बोर्ड का विनिश्चय ऐसे विनिश्चय के तीस दिनों के भीतर आवेदक को संसूचित किया जायेगा ।
- (3) जहाँ प्रमाणपत्र के लिए आवेदन बोर्ड द्वारा नामंजूर किया जाता है, तो वहाँ आवेदक अनुसंधान विश्लेषक के रूप में कार्य करना तुरंत छोड़ देगा :

परंतु यह कि इस विनियम में दी हुई कोई भी बात विधि के अधीन आवेदक के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगी ।

प्रमाणपत्र की शर्तें

13. विनियम 9 के अधीन प्रदान किया गया प्रमाणपत्र, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

- (i) अनुसंधान विश्लेषक अधिनियम और इन विनियमों के उपबंधों का पालन करेगा;
- (ii) यदि बोर्ड को पहले प्रस्तुत की गयी कोई जानकारी या विशिष्टियाँ किसी तात्विक विशिष्टि में मिथ्या या भ्रामक पायी जाती हैं या यदि पहले ही से प्रस्तुत की गयी जानकारी में कोई तात्विक परिवर्तन होता है, तो अनुसंधान विश्लेषक तुरंत बोर्ड को लिखित रूप में सूचित करेगा;

- (iii) इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत अनुसंधान विश्लेषक अपने ग्राहकों के साथ समस्त पत्र-व्यवहारों में 'अनुसंधान विश्लेषक' शब्दों का प्रयोग करेगा।

अनुसंधान विश्लेषकों के विनियमन के लिए निकाय या निगमित निकाय की मान्यता

14. (1) बोर्ड अनुसंधान विश्लेषकों का विनियमन करने के प्रयोजनार्थ किसी निकाय या निगमित निकाय को मान्यता दे सकेगा।
- (2) बोर्ड, ऐसे निकाय या निगमित निकाय को मान्यता दिये जाने के समय, अनुसंधान विश्लेषकों का प्रशासन, पर्यवेक्षण और विनियमन ऐसे निकाय या निगमित निकाय को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर प्रत्यायोजित कर सकेगा जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।
- (3) बोर्ड यह विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि कोई भी व्यक्ति अनुसंधान विश्लेषक के रूप में तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक कि वह मान्यताप्राप्त निकाय या निगमित निकाय का सदस्य न हो और ऐसी दशा में, इन विनियमों और ऐसे निकाय या निगमित निकाय की उप-विधियों या के अनुच्छेदों के उपबंध ऐसे अनुसंधान विश्लेषक पर *यथावश्यक परिवर्तन सहित* लागू होंगे।

अध्याय-III

हित-विरोधों का प्रबंधन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ

आंतरिक नीतियाँ और प्रक्रियाएँ तैयार करना

15. (1) अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी के पास लिखित आंतरिक नीतियाँ तथा नियंत्रण प्रक्रियाएँ होंगी, जिनसे किसी अनुसंधान विश्लेषक द्वारा किये जाने वाले व्यौहार और व्यापार विनियमित हो सकें :
- (i) कंपनी विशेष की प्रतिभूतियों के ऐसे व्यौहारों या व्यापार से उत्पन्न होने वाले वास्तविक या संभाव्य हित-विरोधों को दूर करने के लिए;
- (ii) ऐसे वस्तुपरक और विश्वसनीय अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, जो अनुसंधान विश्लेषक के अपक्षपाती दृष्टिकोण को दर्शाये; और
- (iii) प्रतिभूति बाजार में हेराफेरी करने के लिए अनुसंधान रिपोर्टों या अनुसंधान विश्लेषणों का प्रयोग करने से रोकने के लिए।
- (2) अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी के पास यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित व्यवस्था होगी कि उसके अनुसंधान क्रियाकलाप उसके अन्य कारबार संबंधी क्रियाकलापों से स्वतंत्र हों।

अनुसंधान विश्लेषकों द्वारा व्यापार पर सीमाएँ

16. (1) अनुसंधान एंटीटी द्वारा अनुसंधान विश्लेषक के रूप में नियोजित व्यष्टियों के व्यक्तिगत व्यापारिक क्रियाकलापों का अनुश्रवण किया जायेगा, को अभिलिखित किया जायेगा और जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, वहाँ वे औपचारिक अनुमोदन प्रक्रिया के अध्वधीन होंगे।
- (2) स्वतंत्र अनुसंधान विश्लेषक, अनुसंधान एंटीटी द्वारा अनुसंधान विश्लेषकों के रूप में नियोजित व्यष्टि या उनके सहयुक्त उन प्रतिभूतियों में व्यौहार या व्यापार नहीं करेंगे जिनके संबंध में अनुसंधान विश्लेषक, अनुसंधान रिपोर्ट के प्रकाशन से तीस दिन पूर्व और पाँच दिन पश्चात् के भीतर, सिफारिश करता है या अनुगमन करता है।
- (3) स्वतंत्र अनुसंधान विश्लेषक, अनुसंधान एंटीटी द्वारा अनुसंधान विश्लेषकों के रूप में नियोजित व्यष्टि या उनके सहयुक्त किन्हीं प्रतिभूतियों, जिनकी वह समीक्षा करता है, में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः व्यौहार या व्यापार नहीं करेंगे, इस प्रकार से कि वह उसकी दी गयी सिफारिश के प्रतिकूल हो।
- (4) स्वतंत्र अनुसंधान विश्लेषक, अनुसंधान एंटीटी द्वारा अनुसंधान विश्लेषकों के रूप में नियोजित व्यष्टि या उनके सहयुक्त निर्गमकर्ता के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव से पूर्व निर्गमकर्ता की प्रतिभूतियों का क्रय या को प्राप्त नहीं करेंगे, यदि निर्गमकर्ता मुख्यतः उन कंपनियों के जैसा ही कारबार करने में लगा हुआ हो, जिनका अनुसंधान विश्लेषक अनुगमन करता है या जिनके संबंध में अनुसंधान विश्लेषक सिफारिश करता है।
- (5) उप-विनियम (2) से (4) के उपबंध *यथावश्यक परिवर्तन सहित* अनुसंधान एंटीटी के प्रति लागू होंगे, जब तक कि वह अपने अनुसंधान क्रियाकलापों को अन्य समस्त क्रियाकलापों से पृथक् न कर दे और ऐसे क्रियाकलापों के बीच समुचित दूरी का संबंध न बनाये रखे।

(6) उप-विनियम (2) से (4) में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, प्रतिभूतियों में व्यापार या व्याहार करने के ऐसे निर्बंधन, कंपनी विशेष से संबंधित महत्वपूर्ण समाचार या घटना के मामले में या अनुसंधान विश्लेषक की व्यक्तिगत वित्तीय परिस्थितियों में अप्रत्याशित महत्वपूर्ण परिवर्तन के आधार पर, लागू नहीं हो सकेंगे, अनुमोदित आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं में विनिर्दिष्ट निर्बंधनों के अनुसार पूर्व लिखित अनुमोदन के अधीन।

अनुसंधान विश्लेषकों का प्रतिकर

17. (1) अनुसंधान एंटीटी अनुसंधान विश्लेषक के रूप में नियोजित किसी व्यक्ति को कोई बोनस, वेतन या अन्य रूप में प्रतिकर अदा नहीं करेगी जो किसी विनिर्दिष्ट मर्चेट बैंककारी या विनिधान (निवेश) बैंककारी या दलाली (ब्रोकेज) सेवाओं संबंधी संव्यवहारों पर अवधारित या आधारित हो।

(2) अनुसंधान एंटीटी के निदेशक बोर्ड / के निदेशक बोर्ड द्वारा नियुक्त की गयी समिति, जिसमें इसके मर्चेट बैंककारी या विनिधान (निवेश) बैंककारी या दलाली (ब्रोकेज) सेवा प्रभागों का प्रतिनिधित्व नहीं होता, द्वारा प्रतिवर्ष, अनुसंधान विश्लेषक के रूप में नियोजित सभी व्यष्टियों के प्रतिकर की समीक्षा की जायेगी, के दस्तावेज रखे जायेंगे और को अनुमोदित किया जायेगा।

(3) अनुसंधान विश्लेषक के रूप में नियोजित व्यक्ति के प्रतिकर को अनुमोदित करने वाला या की समीक्षा करने वाला अनुसंधान एंटीटी का निदेशक बोर्ड / के निदेशक बोर्ड द्वारा नियुक्त समिति अनुसंधान एंटीटी के विनिधान (निवेश) बैंककारी या मर्चेट बैंककारी या दलाली (ब्रोकेज) सेवा संबंधी कारबार में ऐसे व्यक्ति के योगदान पर विचार नहीं करेगी।

(4) अनुसंधान एंटीटी द्वारा अनुसंधान विश्लेषक के रूप में नियोजित व्यक्ति, उस अनुसंधान एंटीटी के मर्चेट बैंककारी या विनिधान (निवेश) बैंककारी या दलाली सेवा (ब्रोकेज सर्विसेज़) विभाग के किसी कर्मचारी के पर्यवेक्षण या नियंत्रण के अधीन नहीं होगा।

अनुसंधान रिपोर्टों के प्रकाशन, लोगों के सामने आने और कारबार के संचालन आदि संबंधी सीमाएँ

18. (1) अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी उस कंपनी विशेष के संबंध में अनुसंधान रिपोर्ट या अनुसंधान विश्लेषण को प्रकाशित या वितरित नहीं करेगी अथवा लोगों के सामने नहीं आयेगी, जिसके लिए उसने, :

(a) यदि प्रस्ताव एक आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव हो, तो जिस दिन प्रतिभूतियों का कीमत-निर्धारण होता हो उस दिन के ठीक बाद चालीस दिनों; या

(b) यदि प्रस्ताव एक बाद वाला सार्वजनिक प्रस्ताव हो, तो जिस दिन प्रतिभूतियों का कीमत-निर्धारण होता हो उस दिन के ठीक बाद दस दिनों;

की अवधि के भीतर आने वाले किसी भी समय पर प्रबंधक या सह-प्रबंधक के रूप में कार्य किया हो, :

परंतु यह कि अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी चालीस दिनों और दस दिनों की ऐसी अवधियों के भीतर अनुसंधान रिपोर्ट या अनुसंधान विश्लेषण को प्रकाशित या वितरित कर सकेगी अथवा लोगों के सामने आ सकेगी, आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं में यथा विनिर्दिष्ट विधि संबंधी या अनुपालन संबंधी कार्मिक के पूर्व लिखित अनुमोदन के अधीन।

(2) अनुसंधान एंटीटी, जो निर्गमकर्ता के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के हामीदार के रूप में भाग लेने के लिए सहमत हो गयी हो या भाग ले रही हो, प्रस्ताव की तारीख से पच्चीस दिनों की समाप्ति से पूर्व, उस निर्गमकर्ता के संबंध में अनुसंधान रिपोर्ट प्रकाशित या वितरित नहीं करेगी अथवा लोगों के सामने नहीं आयेगी।

स्पष्टीकरण- उप-विनियम (1) एवं (2) के प्रयोजनार्थ, प्रस्ताव की तारीख का संदर्भ उस प्रथम तारीख से है जिस तारीख को प्रतिभूति का प्रस्ताव जनता को किया गया था।

(3) अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी, जिसने कंपनी की प्रतिभूतियों के सार्वजनिक प्रस्ताव के प्रबंधक या सह-प्रबंधक के रूप में कार्य किया हो, लॉक-अप करार या किसी अन्य करार, जो अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी ने कंपनी विशेष के साथ किया हो जो प्रतिभूतियों के सार्वजनिक प्रस्ताव की समाप्ति के पश्चात् कंपनी विशेष द्वारा धारित प्रतिभूतियों के विक्रय को निर्बंधित या प्रतिषिद्ध करता हो, करने की तारीख से पंद्रह दिन पूर्व, और की समाप्ति / के अधित्यजन / के समापन से पंद्रह दिन पश्चात्, के भीतर, उस कंपनी के संबंध में अनुसंधान रिपोर्ट को प्रकाशित या वितरित नहीं करेगी अथवा लोगों के सामने नहीं आयेगी।

परंतु यह कि अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी पंद्रह दिनों की ऐसी अवधि के भीतर उस कंपनी के संबंध में अनुसंधान रिपोर्ट या अनुसंधान विश्लेषण को प्रकाशित या वितरित कर सकेगी अथवा लोगों के सामने आ सकेगी, आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं में यथा विनिर्दिष्ट विधि संबंधी या अनुपालन संबंधी कार्मिक के पूर्व लिखित अनुमोदन के अधीन।

(4) अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी द्वारा अनुसंधान विश्लेषक के रूप में नियोजित व्यष्टि विनिधान (निवेश) बैंककारी या मर्चेट बैंककारी या दलाली (ब्रोकेज) सेवा संबंधी कारबार पाने की याचना करने संबंधी कारबार क्रियाकलापों, जैसे सेल्स पिच और डील रोड शो, में भाग नहीं लेंगे।

(5) अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी द्वारा अनुसंधान विश्लेषक के रूप में नियोजित व्यष्टि, विनिधान (निवेश) बैंककारी या मर्चेट बैंककारी या दलाली सेवा प्रभागों (ब्रोकेज सर्विसेज़ डिवीज़न्स) के कार्मिक या कंपनी प्रबंध-मंडल की उपस्थिति में वर्तमान या भावी ग्राहक के साथ विनिधान (निवेश) बैंककारी सेवाओं संबंधी संव्यवहार के बारे में किसी संसूचना में नहीं लगेंगे।

(6) अनुसंधान एंटीटी के विनिधान (निवेश) बैंककारी या मर्चेट बैंककारी या दलाली सेवा प्रभाग के कार्मिक अनुसंधान विश्लेषक के रूप में नियोजित व्यष्टियों को यह निदेश नहीं देंगे कि वे विनिधान (निवेश) बैंककारी या या मर्चेट बैंककारी या दलाली (ब्रोकेज) सेवाओं के संबंध में विक्रय (सेल्स) या विपणन (मार्केटिंग) में लगे और अनुसंधान विश्लेषक को यह निदेश नहीं देंगे कि वह ऐसे प्रभाग के संव्यवहार के बारे में वर्तमान या भावी ग्राहक के साथ किसी संसूचना में लगे :

परंतु यह कि उप-विनियम (4) से (6) अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी को विनिधानकर्ता (निवेशक) शिक्षण संबंधी क्रियाकलापों में लगने से प्रतिषिद्ध नहीं करेंगे, जिनमें प्री-डील संबंधी अनुसंधान को प्रकाशित करना और संव्यवहार के संबंध में अनुसंधान विश्लेषक के विचार विक्रय (सेल्स) या विपणन (मार्केटिंग) कार्मिकों को संक्षेप में बताना सम्मिलित है।

(7) अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी के पास, अनुसंधान रिपोर्ट तैयार करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजी आधार होगा, जो अनुसंधान द्वारा समर्थित हो।

(8) अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी किसी कंपनी या उद्योग या क्षेत्र (सेक्टर) या कंपनियों के समूह या कारबार समूह को अपनी अनुसंधान रिपोर्ट में अनुकूल समीक्षा का कोई वचन या आश्वासन नहीं देगी, कारबारी संबंध आरंभ करने या उसे प्रभावित करने के लिए अथवा प्रतिकर या अन्य फायदों की प्राप्ति हेतु प्रतिफल के रूप में।

(9) अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी ऐसी अनुसंधान रिपोर्ट जारी नहीं करेगी जो कंपनी विशेष के संबंध में अनुसंधान विश्लेषक के रूप में नियोजित व्यष्टियों के विचारों से संगत न हो।

(10) अनुसंधान एंटीटी यह सुनिश्चित करेगी कि अनुसंधान विश्लेषक के रूप में नियोजित व्यष्टि उन अन्य कर्मचारियों से पृथक् रहें जो विक्रय (सेल्स) व्यापार, व्यापार, कारपोरेट वित्त सलाहकार क्रियाकलाप या ऐसा कोई अन्य क्रियाकलाप कर रहे हों जो इसकी अनुसंधान रिपोर्ट की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता हो :

परंतु यह कि अनुसंधान एंटीटी द्वारा अनुसंधान विश्लेषक के रूप में नियोजित व्यष्टि, अनुसंधान रिपोर्ट के प्रभाव को अभिनिश्चित करने के लिए, दलाली प्रभाग के विक्रय (सेल्स) या व्यापार (ट्रेडिंग) कार्मिक से प्रतिक्रिया (फीडबैक) प्राप्त कर सकता है।

अनुसंधान रिपोर्टों में प्रकटीकरण

19. अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी स्वयं के बारे में समस्त तात्विक जानकारी प्रकट करेगी, जिसमें उसका कारबार संबंधी क्रियाकलाप, उसका अनुशासनिक इतिवृत्त, वे निबंधन और शर्तें जिन पर वह अनुसंधान रिपोर्ट देती है, सहयुक्तों के व्यौरे और ऐसी अन्य जानकारी सम्मिलित है जो विनिधान (निवेश) संबंधी निर्णय लेने (विनिश्चय करने) के लिए आवश्यक हो, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित है :

(i) अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी, स्वामित्व और तात्विक हित विरोधों के संबंध में, अनुसंधान रिपोर्टों में और लोगों के सामने आने के दौरान निम्नलिखित को प्रकट करेगी :

क. क्या अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी या उसके सहयुक्त या उसके नातेदार का कंपनी विशेष में कोई वित्तीय हित है, और ऐसे वित्तीय हित का स्वरूप;

ख. क्या अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी या उसके सहयुक्तों या नातेदारों के पास, अनुसंधान रिपोर्ट के प्रकाशन की तारीख या लोगों के सामने आने की तारीख से ठीक पहले के महीने की समाप्ति पर, कंपनी विशेष की एक प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिभूतियों का वास्तविक / हिताधिकारी स्वामित्व है;

ग. क्या अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी या उसके सहयुक्त या उसके नातेदार का, अनुसंधान रिपोर्ट के प्रकाशन के समय या लोगों के सामने आने के समय, कोई अन्य तात्विक हित विरोध है।

- (ii) अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी अनुसंधान रिपोर्टों में, प्रतिकर की प्राप्ति के संबंध में, निम्नलिखित प्रकटीकरण करेगी :
- क. क्या उसने या उसके सहयुक्तों ने पिछले बारह महीनों में कंपनी विशेष से कोई प्रतिकर प्राप्त किया है;
 - ख. क्या उसने या उसके सहयुक्तों ने पिछले बारह महीनों में कंपनी विशेष के लिए प्रतिभूतियों के सार्वजनिक प्रस्ताव का प्रबंधन या सह-प्रबंधन किया है;
 - ग. क्या उसने या उसके सहयुक्तों ने पिछले बारह महीनों में कंपनी विशेष से विनिधान (निवेश) बैंककारी या मर्चेट बैंककारी या दलाली (ब्रोकेज) सेवाओं के लिए कोई प्रतिकर प्राप्त किया है;
 - घ. क्या उसने या उसके सहयुक्तों ने पिछले बारह महीनों में कंपनी विशेष से विनिधान (निवेश) बैंककारी या मर्चेट बैंककारी या दलाली (ब्रोकेज) सेवाओं से भिन्न उत्पादों (प्रोडक्ट्स) या सेवाओं के लिए कोई प्रतिकर प्राप्त किया है;
 - ङ. क्या उसने या उसके सहयुक्तों ने अनुसंधान रिपोर्ट के संबंध में कंपनी विशेष या परव्यक्ति से कोई प्रतिकर या अन्य फायदे प्राप्त किये हैं।
- (iii) अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी लोगों के सामने आने के दौरान, प्रतिकर की प्राप्ति के संबंध में, निम्नलिखित प्रकटीकरण करेगी :
- क. क्या उसने या उसके सहयुक्तों ने पिछले बारह महीनों में कंपनी विशेष से कोई प्रतिकर प्राप्त किया है;
 - ख. क्या कंपनी विशेष ग्राहक है, या, अनुसंधान रिपोर्ट के वितरण की तारीख से पहले की बारह महीनों की अवधि के दौरान, ग्राहक थी, और कंपनी विशेष को दी गयी सेवाओं के प्रकार :
- परंतु यह कि अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी से खंड (ii) के उप-खंड (ग), (घ) एवं (ङ) या खंड (iii) के उप-खंड (क) एवं (ख) के अनुसार उस हद तक प्रकटीकरण करना अपेक्षित नहीं होगा कि ऐसे प्रकटीकरण से कंपनी विशेष के विशिष्ट संभाव्य भावी विनिधान (निवेश) बैंककारी या मर्चेट बैंककारी या दलाली (ब्रोकेज) सेवा संबंधी संव्यवहारों के संबंध में तात्त्विक असार्वजनिक जानकारी प्रकट हो जाये।
- (iv) क्या अनुसंधान विश्लेषक कंपनी विशेष के अधिकारी, निदेशक या कर्मचारी के रूप में सेवारत रहा है;
 - (v) क्या अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी कंपनी विशेष के लिए बाजार-निर्माण (मार्केट-मेकिंग) संबंधी क्रियाकलाप में लगी रही है;
 - (vi) अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी अनुसंधान रिपोर्ट में या लोगों के सामने आने के दौरान ऐसे समस्त अन्य प्रकटीकरण करेगी, जैसा बोर्ड द्वारा किन्हीं अन्य विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट है।

अनुसंधान रिपोर्टों में विषय-वस्तु

20. (1) अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठायेगी कि उसकी अनुसंधान रिपोर्टों में निहित तथ्य विश्वसनीय जानकारी पर आधारित हों और सिफारिशें करने में उपयोग किये गये शब्दों को परिभाषित करेगी, और इन शब्दों का निरंतर उपयोग किया जायेगा।
- (2) अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी को, जो रेटिंग प्रणाली लगाती है, प्रत्येक ऐसी रेटिंग का अर्थ स्पष्ट रूप से अवश्य परिभाषित करना होगा, जिसमें समयावधि और बेंचमार्क सम्मिलित हों जिन पर रेटिंग आधारित हो।
- (3) यदि अनुसंधान रिपोर्ट में कंपनी विशेष की प्रतिभूतियों के लिए या तो रेटिंग या फिर कीमत लक्ष्य अंतर्विष्ट हो, और अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी ने प्रतिभूतियों के संबंध में कम से कम एक वर्ष के लिए रेटिंग या कीमत लक्ष्य नियत किया हो, तो ऐसी अनुसंधान रिपोर्ट में, नियत अवधि हेतु या तीन वर्ष की अवधि हेतु, जो भी कम हो, ऐसी प्रतिभूतियों की दैनिक अंतिम कीमतों का ग्राफ भी उपलब्ध कराया जायेगा।

पब्लिक मीडिया में सिफारिशें

21. (1) अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी, जिसमें उसके निदेशक या कर्मचारी सम्मिलित हैं, रजिस्ट्रीकरण संबंधी स्थिति और कंपनी विशेष में वित्तीय हित के ब्यौरे प्रकट करेगी, यदि वह लोगों के सामने आये।
- (2) यदि कोई व्यक्ति, जिसमें विनिधान (निवेश) सलाहकार या साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसी या आस्ति प्रबंध कंपनी या निधि प्रबंधक का निदेशक या कर्मचारी सम्मिलित है, लोगों के सामने आता हो अथवा पब्लिक मीडिया के माध्यम से प्रतिभूतियों या सार्वजनिक प्रस्तावों के संबंध में सिफारिशें करता हो या राय देता हो, तो विनियम 16 तथा 17 के सभी उपबंध *यथावश्यक परिवर्तन सहित* उस पर लागू होंगे और वह -

- (i) व्यक्तिगत हैसियत से ऐसी सिफारिश करने या ऐसी राय देने;
- (ii) व्यक्तिगत हैसियत से दर्शकगण/श्रोतागण या पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब देने;
- (iii) पब्लिक मीडिया के माध्यम से अनुसंधान रिपोर्ट या अनुसंधान रिपोर्ट का सार संसूचित करने, के समय अपना नाम, रजिस्ट्रीकरण संबंधी स्थिति और कंपनी विशेष में वित्तीय हित के व्यौरे प्रकट करेगा।

अनुसंधान रिपोर्टों का वितरण

- 22.** (1) अनुसंधान रिपोर्ट चयनात्मक रूप से आंतरिक व्यापारिक कार्मिकों या किसी विशिष्ट ग्राहक या ग्राहकों के वर्ग को उन अन्य ग्राहकों से पहले उपलब्ध नहीं करायी जायेगी जो उस अनुसंधान रिपोर्ट को प्राप्त करने के हकदार हों।
- (2) अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी, जो किसी परव्यक्ति अनुसंधान रिपोर्ट का वितरण करती हो, तात्विक तथ्य के किसी असत्य कथन अथवा किसी मिथ्या या भ्रामक जानकारी के संबंध में परव्यक्ति अनुसंधान रिपोर्ट का पुनर्विलोकन करेगी।
- (3) अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी, जो किसी परव्यक्ति अनुसंधान रिपोर्ट का वितरण करती हो, ऐसे परव्यक्ति अनुसंधान प्रदाता के किसी तात्विक हित विरोध को प्रकट करेगी या वह ऐसा वेब एड्रेस प्रदान करेगी जहाँ से प्राप्तिकर्ता सुसंगत प्रकटीकरण देख सकेगा।
- (4) उप-विनियम (2) तथा (3) के उपबंध अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी के प्रति लागू नहीं होंगे यदि ऐसे परव्यक्ति अनुसंधान प्रदाता के साथ उसका कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कारबारी या संविदात्मक संबंध न हो।

परोक्षी (प्राक्सी) सलाहकारों द्वारा अतिरिक्त प्रकटीकरण

- 23.** (1) अध्याय II, III, IV, V तथा VI के सभी उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित परोक्षी (प्राक्सी) सलाहकारों पर लागू होंगे : परंतु यह कि परोक्षी (प्राक्सी) सलाहकारों के कर्मचारियों, जो परोक्षी (प्राक्सी) सलाहकार सेवाएँ देने में लगे हुए हों, से यह अपेक्षित होगा कि उनके पास शिक्षा की किसी भी शाखा में स्नातक की न्यूनतम अर्हता हो :
- परंतु यह और कि परोक्षी (प्राक्सी) सलाहकारों के कर्मचारियों, जो परोक्षी (प्राक्सी) सलाहकार सेवाएँ देने में लगे हुए हों, के लिए प्रमाणीकरण संबंधी अपेक्षाएँ वही होंगी जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट हों :
- परंतु यह और कि विनियम 8 के उप-विनियम (3) में यथा उपबंधित पूँजी पर्याप्तता के अनुपालन हेतु समयावधि, परोक्षी (प्राक्सी) सलाहकारों के लिए तीन वर्ष होगी।

- (2) परोक्षी (प्राक्सी) सलाहकार अतिरिक्त रूप से निम्नलिखित को प्रकट करेंगे:

- (i) किसी विशिष्ट सिफारिश में अंतर्बलित अनुसंधान का दायरा तथा निर्गमकर्ता के आंकड़ों की यथार्थता सुनिश्चित करने में उसके नियंत्रणों एवं प्रक्रियाओं का दायरा और/या इनकी प्रभाविता;
 - (ii) निर्गमकर्ताओं से संपर्क रखने, निर्गमकर्ताओं को सिफारिश के बारे में अवगत कराने और सिफारिशों के पुनर्विलोकन के संबंध में नीतियाँ और प्रक्रियाएँ।
- (3) परोक्षी (प्राक्सी) सलाहकार मतदान संबंधी अपनी सिफारिशों का अभिलेख रखेंगे और अनुरोध किये जाने पर उन्हें बोर्ड को प्रस्तुत करेंगे।
- (4) परोक्षी (प्राक्सी) सलाहकारों के प्रति इन विनियमों के उपबंधों के लागू होने की बाबत किसी असंगति या कठिनाई के मामले में, बोर्ड ऐसे स्पष्टीकरण या छूटें जारी कर सकेगा, जैसा समुचित समझा जाये।

साधारण जिम्मेदारी

- 24.** (1) अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी, अपने अनुसंधान क्रियाकलाप और अन्य क्रियाकलापों के बीच समुचित दूरी का संबंध बनाये रखेगी।
- (2) अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी तीसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट आचार संहिता का पालन करेगी।
- (3) अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी के नियंत्रण में परिवर्तन की दशा में, बोर्ड से पूर्व अनुमोदन लिया जायेगा।
- (4) अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी बोर्ड को जानकारी और रिपोर्टें देगी, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये।

(5) अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि यथास्थिति उसके कर्मचारी या भागीदार सभी समयों पर विनियम 7 के अधीन प्रमाणीकरण और अर्हता संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करें।

अभिलेख रखना

25. (1) अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी निम्नलिखित अभिलेख रखेगी:

- (i) अनुसंधान रिपोर्ट, जिस पर सम्यक् रूप से हस्ताक्षर किये गये हों और तारीख डाली गयी हो;
- (ii) की गयी अनुसंधान सिफारिश;
- (iii) अनुसंधान सिफारिश के निष्कर्ष तक पहुँचने का तर्काधार;
- (iv) लोगों के सामने आने संबंधी अभिलेख।

(2) समस्त अभिलेख या तो कागजी रूप में या इलैक्ट्रॉनिक रूप में रखे जायेंगे और न्यूनतम पाँच वर्षों की अवधि के लिए बनाये रखे जायेंगे :

परंतु यह कि जहाँ अभिलेख सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित किये जाने अपेक्षित हैं और इलैक्ट्रॉनिक रूप में रखे जाते हैं, तो वहाँ ऐसे अभिलेखों को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(3) अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी इन विनियमों के अनुपालन की बाबत भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान या भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के सदस्य से लेखापरीक्षा करायेगी।

अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति

26. अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी जो निगमित निकाय या सीमित दायित्व भागीदारी फर्म है अनुपालन अधिकारी को नियुक्त करेगी जो अधिनियम, इन विनियमों के उपबंधों और बोर्ड द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन के अनुश्रवण के लिए जिम्मेदार होगा।

अध्याय-IV

निरीक्षण

निरीक्षण करने का बोर्ड का अधिकार

27. बोर्ड स्वप्रेरणा से या जानकारी अथवा शिकायत की प्राप्ति पर निम्नलिखित कारणों में से किसी कारण से अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी से संबंधित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण प्राधिकारी के रूप में एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा, अर्थात्:-

- (i) यह सुनिश्चित करना कि लेखा बहियाँ, अभिलेख और दस्तावेज इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति से बनाये रखे जा रहे हैं;
- (ii) अनुसंधान विश्लेषक के क्रियाकलापों से संबंधित किसी विषय के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त शिकायतों का निरीक्षण करना;
- (iii) यह अभिनिश्चित करना कि क्या अधिनियम और इन विनियमों के उपबंधों का अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी द्वारा अनुपालन किया जा रहा है;
- (iv) अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी के कामकाज का, प्रतिभूति बाजार के हित में या विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) के हित में, निरीक्षण करना।

निरीक्षण के पूर्व सूचना (नोटिस)

28. (1) विनियम 27 के अधीन निरीक्षण का आदेश देने से पूर्व, बोर्ड अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी को कम से कम सात दिनों की सूचना (का नोटिस) देगा।

(2) उप-विनियम (1) में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, जहाँ बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) के हित में कोई ऐसी सूचना नहीं दी जानी चाहिए, तो वहाँ यह लिखित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी के कामकाज का निरीक्षण ऐसी सूचना के बिना किया जाये।

(3) निरीक्षण के दौरान, अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी जिसके खिलाफ निरीक्षण किया जा रहा है विनियम 29 में यथा उपबंधित इसकी बाध्यताओं का निर्वहन करने के लिए आवद्ध होगी।

निरीक्षण के संबंध में अनुसंधान विश्लेषक की बाध्यता

29. (1) प्रत्येक अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी जिसकी बाबत विनियम 27 के अधीन निरीक्षण का आदेश दिया गया है और किसी अन्य सहयुक्त व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसे अनुसंधान विश्लेषक या ऐसी अनुसंधान एंटीटी, जिसमें उनका प्रतिनिधि, यदि कोई हो, सम्मिलित है, के संचालन तथा कार्यकलापों से संबंधित सुसंगत जानकारी हो, का यह कर्तव्य होगा कि वह निरीक्षण प्राधिकारी को उसकी अभिरक्षा या नियंत्रण में रखी ऐसी बहियाँ, लेखे और अन्य दस्तावेज पेश करे और उसे ऐसे विवरण तथा जानकारी दे जैसी निरीक्षण प्राधिकारी निरीक्षण के प्रयोजनार्थ अपेक्षा करे।

(2) अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी और किसी अन्य सहयुक्त व्यक्ति जिसके कब्जे में अनुसंधान विश्लेषक के संचालन तथा कार्यकलापों से संबंधित सुसंगत जानकारी हो का यह कर्तव्य होगा कि वह निरीक्षण प्राधिकारी को ऐसी समस्त सहायता दे और ऐसा समस्त सहयोग दे जैसा निरीक्षण के संबंध में अपेक्षित हो और ऐसी जानकारी दे जैसी निरीक्षण के संबंध में निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगी जाये।

(3) निरीक्षण प्राधिकारी के पास, निरीक्षण के प्रयोजनार्थ, अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी के किसी कर्मचारी, निदेशक, भागीदार या उसके क्रियाकलापों के लिए जिम्मेदार अथवा से संबंधित व्यक्ति या किसी अन्य सहयुक्त व्यक्ति की शपथ पर परीक्षा करने और उसके कथन अभिलिखित करने की शक्ति होगी।

(4) निरीक्षण प्राधिकारी के पास, निरीक्षण के प्रयोजनार्थ, अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी के दस्तावेजों, बहियों, लेखों की अधिप्रमाणित प्रतियाँ ऐसे किसी व्यक्ति से अभिप्राप्त करने की शक्ति होगी, जिसके नियंत्रण या जिसकी अभिरक्षा में ऐसे दस्तावेज, बहियाँ या लेखे रखे हों।

बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करना

30. निरीक्षण प्राधिकारी, यथासंभव शीघ्र, निरीक्षण के पूरा होने पर बोर्ड को निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह कि यदि बोर्ड द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया गया हो, तो निरीक्षण प्राधिकारी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा।

निरीक्षण रिपोर्ट पर कार्रवाई

31. बोर्ड निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जैसा यह प्रतिभूति बाजार या विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) के हित में ठीक समझे, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं,-

- (i) अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी से विशिष्ट अवधि के लिए अनुसंधान संबंधी सिफारिश न करने की अपेक्षा करना;
- (ii) अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी से यह अपेक्षा करना कि वह फीस, प्रभारों या कमीशनो या अन्यथा के रूप में संग्रहित कोई धनराशि संबंधित ग्राहकों को अपेक्षित व्याज के साथ लौटाये;
- (iii) अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए पूँजी बाजार में प्रचालन करने या पूँजी बाजार में पहुँच रखने से प्रतिषिद्ध करना।

अध्याय-V**चूक की दशा में कार्रवाई के लिए प्रक्रिया****चूक (व्यतिक्रम) की दशा में कार्रवाई के लिए दायित्व**

32. अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी, जो:

- (i) अधिनियम या उसके अधीन जारी किन्हीं विनियमों या परिपत्रों के उपबंधों में से किसी उपबंध का उल्लंघन करती है;
- (ii) अनुसंधान विश्लेषक के रूप में अपने क्रियाकलाप से संबंधित कोई जानकारी, बोर्ड द्वारा यथा अपेक्षित, देने में असफल रहती है;
- (iii) बोर्ड को ऐसी जानकारी देती है जो किसी तात्त्विक विशिष्टि में मिथ्या या भ्रामक हो;
- (iv) बोर्ड द्वारा यथा अपेक्षित आवधिक विवरणियाँ या रिपोर्टें प्रस्तुत नहीं करती है;
- (v) बोर्ड द्वारा की गई किसी जांच, निरीक्षण या अन्वेषण में सहयोग नहीं देती है;

- (vi) शिकायतों का निवारण करने में असफल रहती है या इस निमित्त बोर्ड को समाधानप्रद उत्तर देने में असफल रहती है, पर अधिनियम या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 के अधीन उपबंधित रीति से कार्यवाही की जायेगी।

अध्याय-VI

विविध

स्पष्टीकरण आदि जारी करने की बोर्ड की शक्ति

33. इन विनियमों के लागू होने या निर्वचन में किन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए, बोर्ड परिपत्रों के रूप में स्पष्टीकरण और मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगा।

विनियम 14 के अधीन मान्यताप्राप्त निकाय या निगमित निकाय पर बोर्ड की शक्ति

34. विनियम 14 के अधीन मान्यताप्राप्त निकाय या निगमित निकाय द्वारा लिये गये किसी विनिश्चय, की गयी किसी कार्रवाई या अधिरोपित की गयी किन्हीं शास्तियों को परिवर्तित करने, उपांतरित करने और उनके विरुद्ध निर्णय देने का अधिकार बोर्ड के पास आरक्षित है।

पहली अनुसूची

प्ररूप क

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014

[विनियम 3(2) एवं 11 देखें]

अनुसंधान विश्लेषक के रूप में रजिस्ट्रीकरण / नवीकरण प्रमाणपत्र

प्रदान किये जाने के लिए आवेदन

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

सेबी भवन, सी4-ए, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051 - भारत

अनुदेश

1. यह प्ररूप अनुसंधान विश्लेषक के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने हेतु आवेदक द्वारा उपयोग करने के लिए है।
2. आवेदक को यह प्ररूप (फॉर्म) पूरा भरना चाहिए, और इसे बोर्ड को इसके मुंबई में स्थित प्रधान कार्यालय में समस्त समर्थक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए।
3. यह आवेदन प्ररूप इन विनियमों के अनुसार भरा जाना चाहिए।
4. बोर्ड द्वारा आवेदन पर विचार किया जायेगा, परंतु तब जब यह सभी प्रकार से पूर्ण हो।
5. सभी उत्तर पढ़े जाने योग्य होने चाहिए और सभी पृष्ठ संख्यांकित होने चाहिए और साथ ही प्ररूप के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर होने चाहिए / मुहर लगी होनी चाहिए।
6. जो जानकारी अधिक विस्तार से दी जानी आवश्यक हो, वह जानकारी पृथक पत्रों पर दी जा सकेगी जो आवेदन प्ररूप के साथ संलग्न होने चाहिए और समुचित रूप से संख्यांकित होने चाहिए।
7. आवेदन हस्ताक्षरित होना चाहिए।
8. आवेदन के साथ इन विनियमों की दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट आवेदन फीस अवश्य होनी चाहिए।

1. साधारण जानकारी

- (क) आवेदक का नाम, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता, पत्राचार का पता और कारबार का मुख्य स्थान, दूरभाष संख्या (संख्याएँ), फैक्स संख्या (संख्याएँ), ई-मेल का पता।
- (ख) आवेदक की स्थायी खाता संख्या (पैन)।
- (ग) क्या आवेदन रजिस्ट्रीकरण के लिए है / नवीकरण के लिए है। यदि आवेदन प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए हो, तो रजिस्ट्रीकरण संख्या का उल्लेख करें।
- (घ) संपर्क व्यक्ति (व्यक्तियों) का नाम, सीधा लाइन नंबर, मोबाइल नंबर और ई-मेल।
- (ङ) निगमन/स्थापना की तारीख और उसका स्थान, यदि कोई हो। यदि आवेदक भारत के बाहर निगमित हो, तो ऐसे निगमन के व्यौरे।

- (च) क्या आवेदक इन विनियमों के अधीन आवेदन करने से पूर्व अनुसंधान रिपोर्टों या अनुसंधान विश्लेषणों को तैयार करने में लगा हुआ है।
- (छ) क्या आवेदक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक, आईआरडीए या पीएफआरडीए के पास किसी भी हैसियत से रजिस्ट्रीकृत है। यदि ऐसा है, तो ऐसे रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे।
- (ज) आवेदक की सहयुक्त कंपनियों / समुत्थानों का नाम और उनके क्रियाकलाप।
- (झ) आवेदक के क्रियाकलापों संबंधी विवरण।

2. आवेदक के ब्यौरे :

- (क) आवेदक की विधिक संरचना – क्या आवेदक व्यक्ति है, निगमित निकाय (जिसमें कंपनी सम्मिलित है) है, भागीदारी फर्म है या सीमित दायित्व भागीदारी है।
- (ख) यदि आवेदक व्यक्ति से भिन्न हो, तो आवेदक का शेयरधारिता स्वरूप (शेयरहोल्डिंग पैटर्न) /उसके हिताधिकारी स्वामित्व (बेनिफीशियल ओनरशिप) का स्वरूप (आवेदक/निदेशकों/भागीदारों/हिताधिकारी स्वामियों की पहचान का सबूत और उनके पते का सबूत संलग्न करें)।
- (ग) क्या आवेदक या आवेदक द्वारा नियोजित अनुसंधान विश्लेषकों या आवेदक के भागीदारों के पास विनियम 7 में यथा विनिर्दिष्ट आवश्यक अर्हता है।
- (घ) आवेदक द्वारा नियोजित उन अनुसंधान विश्लेषकों की संख्या जो आवेदक की ओर से इन विनियमों के अधीन अनुसंधान विश्लेषण और/या अनुसंधान रिपोर्ट तैयार करने में लगे होंगे। (उनके ब्यौरे दें, जिनमें ऐसे नियोजित अनुसंधान विश्लेषकों की अर्हता के संबंध में समर्थक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ सम्मिलित हैं)।
- (ङ) आवेदक द्वारा यह घोषणा कि नियोजित अनुसंधान विश्लेषक, आवेदक के भागीदार, यदि कोई हों, वर्तमान में विनियम 7 के अधीन अर्हता संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं। (समर्थक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ उपलब्ध करायें)
- (यदि आवेदक विद्यमान अनुसंधान विश्लेषक है, जो नये रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर रहा है, तो वह यह कथन करते हुए घोषणा प्रस्तुत करेगा कि आवेदक इन विनियमों के अधीन नियोजित अनुसंधान विश्लेषकों और आवेदक के भागीदारों, यदि कोई हों, हेतु प्रमाणीकरण संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा, इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से दो वर्षों के भीतर, और ऐसे प्रमाणीकरण की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर बोर्ड को प्रमाणीकरण की प्रति प्रस्तुत करेगा।)
- (च) आवेदक द्वारा यह घोषणा कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि नियोजित अनुसंधान विश्लेषक और आवेदक के भागीदार, यदि कोई हों, सभी समयों पर, विनियम 7 के अधीन प्रमाणीकरण और अर्हता संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करें, जिसमें विद्यमान प्रमाणीकरण की समाप्ति से पूर्व नया प्रमाणीकरण अभिप्राय करना सम्मिलित है।
- (छ) व्यक्ति आवेदक के मामले में, पिछले 3 वर्षों की आय-कर विवरणी की प्रति /फॉर्म 16 की प्रति।
- (ज) चार्टर्ड एकाउंटेंट की ओर से शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) का प्रमाणपत्र या आस्तियों और दायित्वों संबंधी विवरण की प्रमाणित प्रति या आवेदक की शुद्ध मूल्य आस्तियों का प्रमाणीकरण, जो आवेदन दाखिल करने के समय छह महीनों से अधिक पुराना न हो। कृपया यह नोट करें कि प्रमाणपत्र में चार्टर्ड एकाउंटेंट की सदस्यता संख्या अवश्य सम्मिलित की जाये।

3. अनुसंधान सेवाओं के ब्यौरे

- (क) प्रस्तावित अनुसंधान सेवाओं के ब्यौरे
- (ख) हित विरोधों को प्रभावी रूप से दूर करने हेतु आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं के ब्यौरे
- (ग) किये जाने वाले मानक प्रकटीकरणों के ब्यौरे
- (घ) दी गयी अनुसंधान सेवाओं से संबंधित कोई अन्य सुसंगत जानकारी

4. अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के ब्यौरे

- (क) अनुसंधान विश्लेषण किये जाने हेतु कार्यालय स्थान, कार्यालय सामग्री, फर्नीचर और जुड़नार, संचार सुविधाएँ, अनुसंधान क्षमता, अनुसंधान सॉफ्टवेयर के ब्यौरे।

(ख) यह घोषणा कि आवेदक के पास अनुसंधान विश्लेषक के क्रियाकलापों के प्रभावी रूप से निर्वहन के लिए आवश्यक अवसंरचना है।

5. अन्य जानकारी / घोषणाएँ / विनियामक कार्रवाईयाँ

(क) पिछले 5 वर्षों में निपटाये गये और लंबित समस्त विवादों के ब्यौरे।

(ख) क्या आवेदक से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने के लिए पहले कभी किया गया कोई आवेदन बोर्ड द्वारा नामंजूर किया गया है; यदि हाँ, तो उसके ब्यौरे उपलब्ध करायें।

(ग) क्या बोर्ड या किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण द्वारा आवेदक से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संबद्ध किसी व्यक्ति के खिलाफ अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये विनियमों के अधीन पिछले 5 वर्षों में कोई अनुशासनिक कार्रवाई की गयी है। यदि हाँ, तो कार्रवाई के ब्यौरे उपलब्ध करायें।

(घ) क्या पिछले 5 वर्षों में किसी आर्थिक अपराध के संबंध में आवेदक / निदेशकों / संप्रवर्तकों / भागीदारों पर अभ्यारोप लगाया गया है / को अंतर्वलित पाया गया है। यदि हाँ, तो उसके ब्यौरे उपलब्ध करायें।

(ङ) यह घोषणा कि आवेदक, उसके द्वारा नियोजित अनुसंधान विश्लेषक, उसके प्रतिनिधि और भागीदार, यदि कोई हों, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 की अनुसूची II में यथा विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति हैं।

(च) यह घोषणा कि आवेदक विनियमों के अध्याय-III का अनुपालन करेगा।

(छ) कोई अन्य जानकारी जो आवेदक द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के स्वरूप से सुसंगत समझी जाये।

6. घोषणा कथन

मैं / हम एतद्वारा सहमत हूँ / हैं और यह घोषणा करता हूँ / करते हैं कि आवेदन, जिसमें संलग्नक पन्ने भी सम्मिलित हैं, में दी गयी जानकारी पूर्ण और सत्य है।

और मैं / हम इससे भी सहमत हूँ / हैं कि, मैं / हम आवेदन में उपलब्ध करायी गयी जानकारी में होने वाले किसी परिवर्तन की सूचना तुरंत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड को दूँगा / देंगे।

मैं / हम इससे भी सहमत हूँ / हैं कि मैं / हम भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992, और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014, मार्गदर्शक सिद्धांतों (गाइडलाइन्स) / अनुदेशों, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किये जायें, का पालन करूँगा / करेंगे, और के द्वारा आबद्ध रहूँगा / रहेंगे।

मैं / हम इससे भी सहमत हूँ / हैं कि रजिस्ट्रीकरण की शर्त के रूप में, मैं / हम प्रचालन-संबंधी ऐसे अनुदेशों / निदेशों का पालन करूँगा / करेंगे जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किये जायें।

_____ के लिए और की ओर से

(आवेदक का नाम)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / आवेदक

(हस्ताक्षर)

(तारीख और स्थान)

प्ररूप ख**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014****[विनियम 9 देखें]****अनुसंधान विश्लेषक के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र**

- I. बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाये गये विनियमों के साथ पठित उस अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

को अधिनियम में और उसके अधीन बनाये गये विनियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन अनुसंधान विश्लेषक के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र एतद्वारा प्रदान करता है।

- II. रजिस्ट्रीकरण संख्या आईएन/आरए/_____ है।
 III. जब तक नवीकृत न किया जाए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र _____ से _____ तक विधिमान्य है।

तारीख :

स्थान : मुंबई

आदेश द्वारा

ह/-

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
के लिए और की ओर से

दूसरी अनुसूची**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014****[विनियम 3(2) एवं विनियम 9 देखें]****फीस**

1. प्रत्येक व्यक्ति आवेदक, जिसमें भागीदारी फर्म सम्मिलित हैं, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने या के नवीकरण के आवेदन के साथ, पाँच हजार रुपये की अप्रतिदेय आवेदन फीस अदा करेगा और अन्य पचास हजार रुपये की अप्रतिदेय आवेदन फीस अदा करेंगे।
2. आवेदक, जो व्यक्ति या भागीदारी फर्म हैं, बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने या के नवीकरण के समय रजिस्ट्रीकरण / नवीकरण फीस के रूप में दस हजार रुपये की राशि अदा करेंगे।
3. निगमित निकाय, जिसमें सीमित दायित्व भागीदारी फर्म सम्मिलित है, बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने या के नवीकरण के समय रजिस्ट्रीकरण / नवीकरण फीस के रूप में पाँच लाख रुपये की राशि अदा करेगा।
4. प्रत्येक आवेदक, जो परोक्षी (प्राक्सी) सलाहकार सेवाएँ देने में लगा हुआ हो, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने या के नवीकरण के आवेदन के साथ, पाँच हजार रुपये की अप्रतिदेय आवेदन फीस अदा करेगा।
5. आवेदक, जो परोक्षी (प्राक्सी) सलाहकार सेवाएँ देने में लगे हुए हों, बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने या के नवीकरण के समय रजिस्ट्रीकरण / नवीकरण फीस के रूप में दस हजार रुपये की राशि अदा करेंगे।
6. पैरा 1, 2, 3, 4 एवं 5 में निर्दिष्ट फीस का भुगतान आवेदक द्वारा, बोर्ड की ओर से सूचना प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, 'भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड' के पक्ष में लिखे गये मांग ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से (मुंबई में देय) किया जायेगा।

तीसरी अनुसूची
[विनियम 24 का उप-विनियम (2) देखें]
अनुसंधान विश्लेषक के लिए आचार संहिता

- 1. ईमानदारी एवं सद्भाव**
अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी ईमानदारी से और सद्भावपूर्वक कार्य करेगी ।
- 2. तत्परता**
अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी सम्यक् कौशल, सावधानी तथा तत्परता से कार्य करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि अनुसंधान रिपोर्ट गहन विश्लेषण के पश्चात् तैयार की जाती है ।
- 3. हित विरोध**
अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी उस हित विरोध को प्रभावी रूप से दूर करेगी जो उसके अनुसंधान विश्लेषण और अनुसंधान रिपोर्टों की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता हो, और उसे दूर करने के लिए समुचित प्रकटीकरण करेगी ।
- 4. अंतरंग व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) या फ्रंट रनिंग**
अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी या इसके कर्मचारी अपनी स्वयं की अनुसंधान रिपोर्ट के आधार पर अंतरंग व्यापार या फ्रंट रनिंग में नहीं लगेगी ।
- 5. गोपनीयता**
अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी या इसके कर्मचारी रिपोर्ट को सार्वजनिक किये जाने तक रिपोर्ट की गोपनीयता बनाए रखेंगे ।
- 6. वृत्तिक मानक**
अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी या इसके कर्मचारी, जो अनुसंधान विश्लेषण में लगे हुए हों, अनुसंधान रिपोर्ट तैयार करते समय उच्च वृत्तिक मानकों का पालन करेंगे ।
- 7. अनुपालन**
अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी अपने कारबार संबंधी क्रियाकलापों के संचालन के प्रति लागू समस्त विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी ।
- 8. ज्येष्ठ प्रबंध-मंडल की जिम्मेदारी**
अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटीटी के ज्येष्ठ प्रबंध-मंडल की यह सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी कि संचालन के समुचित मानक बने रहें और उपयुक्त प्रक्रियाओं का अनुसरण हो ।

यू.के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/69/जैड बी/2014]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 1st September, 2014

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (RESEARCH ANALYSTS) REGULATIONS, 2014

No. LAD-NRO/GN/2014-15/07/1414.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 read with clause (b) of sub-section (2) of section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992(15 of 1992), the Securities and Exchange Board of India hereby, makes the following regulations, to put in place a framework to register and regulate research analysts, namely;—

CHAPTER I
PRELIMINARY

Short title and commencement.

- 1. (1)** These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014.
- (2)** These regulations shall come into force on the ninetieth day from the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions.

- 2. (1)** In these regulations, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall bear the meanings assigned to them below, and their cognate expressions shall be construed accordingly,—

- (a) "Act" means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);
- (b) "asset management company" means a company as defined under clause(d) of Regulation 2 of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996;
- (c) "associate" means an associate as defined in Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008;
- (d) "Board" means the Securities and Exchange Board of India established under section 3 of the Act;
- (e) "certificate" means a certificate of registration granted under these regulations;
- (f) "control" means control as defined under the Companies Act, 2013;
- (g) "fund manager" includes fund managers of a mutual fund or alternative investment fund or venture capital fund or portfolio manager;
- (h) "independent research analyst" means a person whose only business activity is research analysis or preparation and/or publication of research report;
- (i) "inspecting authority" means any one or more persons appointed by the Board to exercise powers conferred under regulation 27;
- (j) "investment adviser" means any person registered under Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013;
- (k) "limited liability partnership" means a partnership formed and registered under The Limited Liability Partnership Act, 2008(6 of 2009);
- (l) "merchant banking or investment banking or brokerage services" includes,-
 - i. acting as an underwriter;
 - ii. participating in a selling or an offering for the issuer or otherwise acting in furtherance of a public offer of the issuer;
 - iii. acting as an adviser in a merger or acquisition;
 - iv. providing or arranging venture capital or equity or debt;
 - v. serving as placement agent for the issuer or otherwise acting in furtherance of a private offering of the issuer;
 - vi. offering brokerage or market making services;
- (m) "NBFC" means a Non-Banking Financial Company registered by Reserve Bank of India;
- (n) "NISM" means the National Institute of Securities Market established by the Board;
- (o) "price target" means expectations of research analyst on the future performance of specific securities;
- (p) "proxy adviser" means any person who provide advice, through any means, to institutional investor or shareholder of a company, in relation to exercise of their rights in the company including recommendations on public offer or voting recommendation on agenda items;
- (q) "public appearance" means any participation in a conference call, seminar, forum (including interactive and non-interactive electronic forum), radio or television or internet or web or print media broadcast, authoring a print media article or other public speaking activity in public media in which a research analyst makes a recommendation or offers an opinion, concerning securities or public offer:
 Provided that it does not include a password protected webcast, conference call or such other events with the clients, if all of the event participants previously received the research report or other documentation that contains the required applicable disclosures and that the research analyst appearing at the event corrects and updates during the public appearance any disclosures in the research report that are inaccurate, misleading or no longer applicable;
- (r) "public media" means any media source available to the general public and includes a radio, television, internet, web or print media;
- (s) "public offer" includes initial public offer, further public offer, offer for sale, disinvestment, takeover, buy-back or delisting of securities;
- (t) "relative" means a person as defined in sub section (77) of section 2 of the Companies Act, 2013 and who is financially dependent on independent research analyst or individual research analyst employed by research entity;
- (u) "research analyst" means a person who is primarily responsible for,-
 - vi. preparation or publication of the content of the research report; or
 - vii. providing research report; or
 - viii. making 'buy/sell/hold' recommendation; or
 - ix. giving price target; or
 - x. offering an opinion concerning public offer,

with respect to securities that are listed or to be listed in a stock exchange, whether or not any such person has the job title of 'research analyst' and includes any other entities engaged in issuance of research report or research analysis.

Explanation.—The term also includes any associated person who reports directly or indirectly to such a research analyst in connection with activities provided above;

- (v) "research entity" means an intermediary registered with Board who is also engaged in merchant banking or investment banking or brokerage services or underwriting services and issue research report or research analysis in its own name through the individuals employed by it as research analyst and includes any other intermediary engaged in issuance of research report or research analysis;
- (w) "research report" means any written or electronic communication that includes research analysis or research recommendation or an opinion concerning securities or public offer, providing a basis for investment decision and does not include the following communications:-
 - (i) comments on general trends in the securities market;
 - (ii) discussions on the broad-based indices;
 - (iii) commentaries on economic, political or market conditions;
 - (iv) periodic reports or other communications prepared for unit holders of mutual fund or alternative investment fund or clients of portfolio managers and investment advisers;
 - (v) internal communications that are not given to current or prospective clients;
 - (vi) communications that constitute offer documents or prospectus that are circulated as per regulations made by the Board;
 - (vii) statistical summaries of financial data of the companies;
 - (viii) technical analysis relating to the demand and supply in a sector or the index;
 - (ix) any other communication which the Board may specify from time to time;
- (x) "securities" means securities as defined in clause (h) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956;
- (y) "significant news or event" means any news or event which is expected to have a material impact on, or that reflects a material change to, the subject company's earnings, operations or financial condition, other than unpublished price sensitive information, as specified in the internal policies and procedures of the research analyst or research entity;
- (z) "subject company" means the company whose securities are the subject of a research report or a public appearance;
- (za) "stock exchange" means a stock exchange recognised under section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956);
- (zb) "third party research report" means a research report produced by a person or entity other than the research analyst or research entity.

(2) The words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Companies Act, 1956 and 2013, or any rules or regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations made thereunder or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

CHAPTER II

REGISTRATION OF RESEARCH ANALYSTS

Application for grant of certificate.

3. (1) On and from the commencement of these regulations, no person shall act as a research analyst or research entity or hold itself out as a research analyst unless he has obtained a certificate of registration from the Board under these regulations:

Provided that any person acting as research analyst or research entity before the commencement of these regulations may continue to do so for a period of six months from such commencement or, if it has made an application for a certificate of registration under sub-regulation (2) within the said period of six months, till the disposal of such application:

Provided further that an investment adviser, credit rating agency, asset management company or fund manager, who issues research report or circulates/distributes research report to public or its director or employee who makes public appearance, shall not be required to seek registration under regulation 3, subject to compliance of Chapter III of these regulations.

(2) An application for grant of certificate of registration shall be made in Form A as specified in the First Schedule to these regulations and shall be accompanied by a non-refundable application fee to be paid in the manner specified in Second Schedule.

Issuance of research report by a person located outside India.

4. Any person located outside India engaged in issuance of research report or research analysis in respect of securities listed or proposed to be listed on a stock exchange shall enter into an agreement with a research analyst or research entity registered under these regulations.

Furnishing of further information, clarification and personal representation.

5. (1) The Board may require the applicant to furnish further information or clarification for the purpose of consideration of the application filed under sub-regulation (2) of regulation 3.

(2) The applicant or his authorised representative, if so required, shall appear before the Board for personal representation.

Consideration of application and eligibility criteria.

6. For the purpose of the grant of certificate the Board shall take into account all matters which are relevant to the grant of certificate of registration and in particular the following, namely:-

- (i) whether the applicant is an individual or a body corporate or limited liability partnership firm;
- (ii) whether in case the applicant is an individual, he is appropriately qualified and certified as specified in regulation 7;
- (iii) whether in case the applicant is a body corporate, the individuals employed as research analyst are qualified and certified as specified in regulation 7;
- (iv) whether in case the applicant is a partnership firm or a limited liability partnership, partners engaged in issuance of research report or research analysis are qualified and certified as specified in regulation 7;
- (v) whether in case the applicant is a research entity, the individuals employed as research analyst are qualified and certified as specified in regulation 7;
- (vi) whether the applicant fulfills the capital adequacy requirements as specified in regulation 8;
- (vii) whether the applicant, individuals employed as research analyst and partners of the applicant, if any, are fit and proper persons based on the criteria as specified in Schedule II of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008;
- (viii) whether the applicant has the necessary infrastructure to effectively discharge the activities of research analyst;
- (ix) whether the applicant or any person directly or indirectly connected with the applicant has in the past been refused certificate by the Board and if so, the grounds for such refusal;
- (x) whether any disciplinary action has been taken by the Board or any other regulatory authority against the applicant or any person directly or indirectly connected to the applicant under the respective Act, rules or regulations made thereunder.

Qualification and certification requirement.

7.(1) An individual registered as research analyst under these regulations, individuals employed as research analyst and partners of a research analyst, if any, engaged in preparation and/or publication of research report or research analysis shall have the following minimum qualifications, at all times:

- (i) A professional qualification or post-graduate degree or post graduate diploma in finance, accountancy, business management, commerce, economics, capital market, financial services or markets provided by:
 - (a) a university which is recognized by University Grants Commission or by any other commission/council/board/body established under an Act of Parliament in India for the purpose; or
 - (b) an institute/association affiliated with such university; or
 - (c) an institute/ association/university established by the central government or state government; or
 - (d) autonomous institute falling under administrative control of Government of India; or
- (ii) professional qualification or post-graduate degree or post graduate diploma which is accredited by All Indian Council for Technical Education, National Assessment and Accreditation Council or National Board of Accreditation or any other council/board/body set up under an Act of Parliament in India for the purpose; or
- (iii) a graduate in any discipline with an experience of at least five years in activities relating to financial products or markets or securities or fund or asset or portfolio management.

(2) An individual registered as research analyst under these regulations, individuals employed as research analyst and partners of a research analyst, if any, shall have, at all times, a NISM certification for research analysts as specified by the Board or other certification recognized by the Board from time to time:

Provided that research analyst or research entity already engaged in issuance of research report or research analysis seeking registration under these regulations shall ensure that it or the individuals employed by it as research analyst and/or its partners obtain such certification within two years from the date of commencement of these regulations:

Provided further that fresh certification must be obtained before expiry of the validity of the existing certification to ensure continuity in compliance with certification requirements.

Capital adequacy.

8. (1) A research analyst who is individual or partnership firm shall have net tangible assets of value not less than one lakh rupees.

(2) A research analyst who is body corporate or limited liability partnership firm shall have a networth of not less than twenty five lakh rupees.

(3) All existing research analysts shall comply with the capital adequacy requirement within one year from the date of commencement of these regulations.

Explanation.— For the purposes of this regulation, "networth" means the aggregate value of paid up share capital plus free reserves (excluding reserves created out of revaluation) reduced by the aggregate value of accumulated losses.

Grant of certificate of registration.

9. The Board on being satisfied that the applicant complies with the requirements specified in regulation 6, shall send intimation to the applicant and on receipt of the payment of registration fees as specified in Second Schedule, grant certificate of registration in Form B under First Schedule, subject to such terms and conditions as the Board may deem fit and appropriate.

Period of validity of certificate.

10. The certificate of registration granted under regulation 9 shall be valid for a period of five years from the date of its issue.

Renewal of certificate.

11. (1) Three months before the expiry of the period of validity of the certificate, the research analyst may, if he so desires, make an application in Form A for grant of renewal of certificate of registration.

(2) The application for renewal under sub-regulation (1) shall be dealt with in the same manner as if it were an application made under sub-regulation (2) of regulation 3 for grant of certificate.

Procedure where registration is refused.

12. (1) After considering an application made under regulation 3, if the Board is of the opinion that a certificate should not be granted to the applicant, it may reject the application after giving the applicant a reasonable opportunity of being heard.

(2) The decision of the Board to reject the application shall be communicated to the applicant within thirty days of such decision.

(3) Where an application for a certificate is rejected by the Board, the applicant shall forthwith cease to act as a research analyst:

Provided that nothing contained in this regulation shall affect the liability of the applicant under the law.

Conditions of certificate.

13. The certificate granted under regulation 9 shall, *inter alia*, be subject to the following conditions:-

- (i) the research analyst shall abide by the provisions of the Act and these regulations;
- (ii) the research analyst shall forthwith inform the Board in writing, if any information or particulars previously submitted to the Board are found to be false or misleading in any material particular or if there is any material change in the information already submitted;
- (iii) research analyst registered under these regulations shall use the term 'research analyst' in all correspondences with its clients.

Recognition of body or body corporate for regulation of research analysts.

14. (1) The Board may recognize any body or body corporate for the purpose of regulating research analysts.

(2) The Board may, at the time of recognition of such body or body corporate, delegate administration, supervision and regulation of research analysts to such body or body corporate on such terms and conditions as may be specified by the Board.

(3) The Board may specify that no person shall act as research analyst unless he is a member of a recognized body or body corporate and in such event, provisions of these regulations and bye-laws or articles of such body or body corporate shall apply *mutatis mutandis* to such research analyst.

CHAPTER III

MANAGEMENT OF CONFLICTS OF INTEREST AND DISCLOSURE REQUIREMENTS

Establishing Internal policies and procedures.

15. (1) Research analyst or research entity shall have written internal policies and control procedures governing the dealing and trading by any research analyst for:

- (i) addressing actual or potential conflict of interest arising from such dealings or trading of securities of subject company;

- (ii) promoting objective and reliable research that reflects the unbiased view of research analyst; and
- (iii) preventing the use of research report or research analysis to manipulate the securities market.

(2) Research analyst or research entity shall have in place appropriate mechanisms to ensure independence of its research activities from its other business activities.

Limitations on trading by research analysts.

16. (1) Personal trading activities of the individuals employed as research analyst by research entity shall be monitored, recorded and wherever necessary, shall be subject to a formal approval process.

(2) Independent research analysts, individuals employed as research analyst by research entity or their associates shall not deal or trade in securities that the research analyst recommends or follows within thirty days before and five days after the publication of a research report.

(3) Independent research analysts, individuals employed as research analysts by research entity or their associates shall not deal or trade directly or indirectly in securities that he reviews in a manner contrary to his given recommendation.

(4) Independent research analysts, individuals employed as research analysts by research entity or their associate shall not purchase or receive securities of the issuer before the issuer's initial public offering, if the issuer is principally engaged in the same types of business as companies that the research analyst follows or recommends.

(5) Provisions of sub-regulations (2) to (4) shall apply *mutatis mutandis* to a research entity unless it has segregated its research activities from all other activities and maintained an arms-length relationship between such activities.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (2) to (4), such restrictions to trade or deal in securities may not apply in case of significant news or event concerning the subject company or based upon an unanticipated significant change in the personal financial circumstances of the research analyst, subject to prior written approval as per the terms specified in the approved internal policies and procedures.

Compensation of research analysts.

17. (1) Research entity shall not pay any bonus, salary or other form of compensation to any individual employed as research analyst that is determined or based on any specific merchant banking or investment banking or brokerage services transaction.

(2) The compensation of all individuals employed as research analyst shall be reviewed, documented and approved annually by board of directors/committee appointed by board of directors of the research entity, which does not consist of representation from its merchant banking or investment banking or brokerage services divisions.

(3) The board of directors/committee appointed by board of directors of the research entity approving or reviewing the compensation of individual employed as research analyst shall not take into account such individual's contribution to the research entity's investment banking or merchant banking or brokerage services business.

(4) An individual employed as research analyst by research entity shall not be subject to the supervision or control of any employee of the merchant banking or investment banking or brokerage services divisions of that research entity.

Limitations on publication of research report, public appearance and conduct of business, etc.

18. (1) Research analyst or research entity shall not publish or distribute research report or research analysis or make public appearance regarding a subject company for which he has acted as a manager or co-manager at any time falling within a period of:

- (a) Forty days immediately following the day on which the securities are priced if the offering is an initial public offering; or
- (b) Ten days immediately following the day on which the securities are priced if the offering is a further public offering:

Provided that research analyst or research entity may publish or distribute research report or research analysis or make public appearance within such forty day and ten day periods, subject to prior written approval of legal or compliance personnel as specified in the internal policies and procedures.

(2) A research entity who has agreed to participate or is participating as an underwriter of an issuer's initial public offering shall not publish or distribute a research report or make public appearance regarding that issuer before expiry of twenty five days from the date of the offering.

Explanation.- For the purposes of sub-regulations (1) and (2), the date of the offering refers to the first date on which the security was offered to the public.

(3) Research analyst or research entity who has acted as a manager or co-manager of public offering of securities of a company shall not publish or distribute a research report or make a public appearance concerning that company within fifteen days prior to date of entering into and fifteen days after the expiration/waiver/termination of a lock-up agreement or any other agreement that the research analyst or research entity has entered into with a subject company that restricts or prohibits the sale of securities held by the subject company after the completion of public offering of securities:

Provided that research analyst or research entity may publish or distribute research report or research analysis or make public appearance regarding that company within such fifteen days subject to prior written approval of legal or compliance personnel as specified in the internal policies and procedures.

(4) Research analyst or individuals employed as research analyst by research entity shall not participate in business activities designed to solicit investment banking or merchant banking or brokerage services business, such as sales pitches and deal road shows.

(5) Research analyst or individuals employed as research analyst by research entity shall not engage in any communication with a current or prospective client in the presence of personnel from investment banking or merchant banking or brokerage services divisions or company management about an investment banking services transaction.

(6) Investment banking or merchant banking or brokerage services division's personnel of research entity shall not direct the individuals employed as research analyst to engage in sales or marketing related to an investment banking or merchant banking or brokerage services and shall not direct the research analyst to engage in any communication with a current or prospective client about such division's transaction:

Provided that sub-regulations (4) to (6) shall not prohibit research analyst or research entity from engaging in investor education activities including publication of pre-deal research and briefing the views of the research analyst on the transaction to the sales or marketing personnel.

(7) Research analyst or research entity shall have adequate documentary basis, supported by research, for preparing a research report.

(8) Research analyst or research entity shall not provide any promise or assurance of favourable review in its research report to a company or industry or sector or group of companies or business group as consideration to commence or influence a business relationship or for the receipt of compensation or other benefits.

(9) Research analyst or research entity shall not issue a research report that is not consistent with the views of the individuals employed as research analyst regarding a subject company.

(10) Research entity shall ensure that the individuals employed as research analyst are separate from other employees who are performing sales trading, dealing, corporate finance advisory or any other activity that may affect the independence of its research report:

Provided that the individual employed as research analyst by research entity can receive feedback from sales or trading personnel of brokerage division to ascertain the impact of research report.

Disclosures in research reports.

19. A research analyst or research entity shall disclose all material information about itself including its business activity, disciplinary history, the terms and conditions on which it offers research report, details of associates and such other information as is necessary to take an investment decision, including the following:

- (i) Research analyst or research entity shall disclose the following in research report and in public appearance with regard to ownership and material conflicts of interest:
 - (a) whether the research analyst or research entity or his associate or his relative has any financial interest in the subject company and the nature of such financial interest;
 - (b) whether the research analyst or research entity or its associates or relatives, have actual/beneficial ownership of one per cent. or more securities of the subject company, at the end of the month immediately preceding the date of publication of the research report or date of the public appearance;
 - (c) whether the research analyst or research entity or his associate or his relative, has any other material conflict of interest at the time of publication of the research report or at the time of public appearance;
- (ii) Research analyst or research entity shall disclose the following in research report with regard to receipt of compensation:
 - (a) whether it or its associates have received any compensation from the subject company in the past twelve months;
 - (b) whether it or its associates have managed or co-managed public offering of securities for the subject company in the past twelve months;
 - (c) whether it or its associates have received any compensation for investment banking or merchant banking or brokerage services from the subject company in the past twelve months;
 - (d) whether it or its associates have received any compensation for products or services other than investment banking or merchant banking or brokerage services from the subject company in the past twelve months;
 - (e) whether it or its associates have received any compensation or other benefits from the subject company or third party in connection with the research report.
- (iii) Research analyst or research entity shall disclose the following in public appearance with regard to receipt of compensation:
 - (a) whether it or its associates have received any compensation from the subject company in the past twelve months;

- (b) whether the subject company is or was a client during twelve months preceding the date of distribution of the research report and the types of services provided:
Provided that research analyst or research entity shall not be required to make a disclosure as per sub-clauses (c), (d) and (e) of clause (ii) or sub-clauses (a) and (b) of clause (iii) to the extent such disclosure would reveal material non-public information regarding specific potential future investment banking or merchant banking or brokerage services transactions of the subject company.
- (iv) whether the research analyst has served as an officer, director or employee of the subject company;
- (v) whether the research analyst or research entity has been engaged in market making activity for the subject company;
- (vi) Research analyst or research entity shall provide all other disclosures in research report and public appearance as specified by the Board under any other regulations.

Contents of research report.

- 20.** (1) Research analyst or research entity shall take steps to ensure that facts in its research reports are based on reliable information and shall define the terms used in making recommendations, and these terms shall be consistently used.
- (2) Research analyst or research entity that employs a rating system must clearly define the meaning of each such rating including the time horizon and benchmarks on which a rating is based.
- (3) If a research report contains either a rating or price target for subject company's securities and the research analyst or research entity has assigned a rating or price target to the securities for at least one year, such research report shall also provide the graph of daily closing price of such securities for the period assigned or for a three-year period, whichever is shorter.

Recommendations in public media.

- 21.** (1) Research analyst or research entity including its director or employee shall disclose the registration status and details of financial interest in the subject company, if he makes public appearance.
- (2) If any person including a director or employee of an investment adviser or credit rating agency or asset management company or fund manager, makes public appearance or makes a recommendation or offers an opinion concerning securities or public offers through public media, all the provisions of regulations 16 and 17 shall apply *mutatis mutandis* to him and he shall disclose his name, registration status and details of financial interest in the subject company at the time of, -
- (i) making such recommendation or offering such opinion in personal capacity;
 - (ii) responding to queries from audiences or journalists in personal capacity;
 - (iii) communicating the research report or substance of the research report through the public media.

Distribution of research reports.

- 22.** (1) A research report shall not be made available selectively to internal trading personnel or a particular client or class of clients in advance of other clients who are entitled to receive the research report.
- (2) Research analyst or research entity who distributes any third party research report shall review the third party research report for any untrue statement of material fact or any false or misleading information.
- (3) Research analyst or research entity who distributes any third party research report shall disclose any material conflict of interest of such third party research provider or he shall provide a web address that directs a recipient to the relevant disclosures.
- (4) Provisions of sub-regulations (2) and (3) shall not apply to a research analyst or research entity if he has no direct or indirect business or contractual relationship with such third party research provider.

Additional disclosures by proxy adviser.

- 23.** (1) All the provisions of Chapter II, III, IV, V and VI shall apply *mutatis mutandis* to the proxy adviser:
Provided that the employees of proxy advisors engaged in providing proxy advisory services shall be required to have a minimum qualification of being a graduate in any discipline:
Provided further that certification requirements for employees of proxy advisors engaged in providing proxy advisory services shall be as specified by the Board:
Provided further that time period for compliance with capital adequacy as provided in sub-regulation (3) of regulation 8, for proxy advisors shall be three years.
- (2) The proxy adviser shall additionally disclose the following:
- (i) the extent of research involved in a particular recommendation and the extent and/or effectiveness of its controls and procedures in ensuring the accuracy of issuer data;
 - (ii) policies and procedures for interacting with issuers, informing issuers about the recommendation and review of recommendations;
- (3) Proxy adviser shall maintain the record of his voting recommendations and furnish the same to the Board on request.
- (4) In case of any inconsistency or difficulty in respect of applicability of provisions of these regulations to proxy advisers, the Board may issue such clarifications or exemptions as may be deemed appropriate.

General responsibility.

24. (1) Research analyst or research entity shall maintain an arms-length relationship between its research activity and other activities.
- (2) Research analyst or research entity shall abide by Code of Conduct as specified in Third Schedule.
- (3) In case of change in control of the research analyst or research entity, prior approval from the Board shall be taken.
- (4) Research analyst or research entity shall furnish to the Board information and reports as may be specified by the Board from time to time.
- (5) It shall be the responsibility of the research analyst or research entity to ensure that its employees or partners, as may be applicable, comply with the certification and qualification requirements under regulation 7 at all times.

Maintenance of records.

25. (1) Research analyst or research entity shall maintain the following records:
- (i) research report duly signed and dated;
 - (ii) research recommendation provided;
 - (iii) rationale for arriving at research recommendation;
 - (iv) record of public appearance.
- (2) All records shall be maintained either in physical or electronic form and preserved for a minimum period of five years:
- Provided that where records are required to be duly signed and are maintained in electronic form, such records shall be digitally signed.
- (3) Research analyst or research entity shall conduct annual audit in respect of compliance with these regulations from a member of Institute of Chartered Accountants of India or Institute of Company Secretaries of India.
- Appointment of compliance officer.**
26. Research analyst or research entity which is a body corporate or limited liability partnership firm shall appoint a compliance officer who shall be responsible for monitoring the compliance of the provisions of the Act, these regulations and circulars issued by the Board.

CHAPTER IV INSPECTION

Board's right to inspect.

27. The Board may *suo motu* or upon receipt of information or complaint appoint one or more persons as inspecting authority to undertake inspection of the books of accounts, records and documents relating to research analyst or research entity for any of the following reasons, namely: -
- (i) to ensure that the books of account, records and documents are being maintained in the manner specified in these regulations;
 - (ii) to inspect into complaints received from any person, on any matter having a bearing on the activities of a research analyst;
 - (iii) to ascertain whether the provisions of the Act and these regulations are being complied with by the research analyst or research entity;
 - (iv) to inspect into the affairs of research analyst or research entity in relation to research activities, in the interest of the securities market or in the interest of investors.

Notice before inspection.

28. (1) Before ordering an inspection under regulation 27, the Board shall give not less than seven days notice to research analyst or research entity.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), where the Board is satisfied that in the interest of the investors no such notice should be given, it may by an order in writing direct that the inspection of the affairs of the research analyst or research entity be taken up without such notice.
- (3) During the course of an inspection, the research analyst or research entity against whom the inspection is being carried out shall be bound to discharge its obligations as provided in regulation 29.

Obligation of research analyst on inspection.

29. (1) It shall be the duty of every research analyst or research entity in respect of whom an inspection has been ordered under the regulation 27 and any other associate person who is in possession of relevant information pertaining to conduct and affairs of such research analyst or research entity including their representative, if any, to produce to the inspecting authority such books, accounts and other documents in his custody or control and furnish him with such statements and information as the inspecting authority may require for the purposes of inspection.
- (2) It shall be the duty of research analyst or research entity and any other associate person who is in possession of relevant information pertaining to conduct and affairs of the research analyst to give to the inspecting authority all such

assistance and shall extend all such co-operation as may be required in connection with the inspection and shall furnish such information as sought by the inspecting authority in connection with the inspection.

(3) The inspecting authority shall, for the purposes of inspection, have power to examine on oath and record the statement of any employee, director, partner or person responsible for or connected with the activities of research analyst or research entity or any other associate person having relevant information pertaining to such research analyst or research entity.

(4) The inspecting authority shall, for the purposes of inspection, have power to obtain authenticated copies of documents, books, accounts of research analyst or research entity, from any person having control or custody of such documents, books or accounts.

Submission of report to the Board.

30. The inspecting authority shall, as soon as possible, on completion of the inspection submit an inspection report to the Board:

Provided that if directed to do so by the Board, the inspecting authority may submit an interim report.

Action on the inspection report.

31. The Board may after consideration of the inspection report and after giving reasonable opportunity of hearing to research analyst or research entity or its authorized representatives, without prejudice to any other action under the Act, issue such directions as it deems fit in the interest of securities market or the investors including requiring research analyst or research entity not to provide research recommendation for a particular period;

- (i) requiring the research analyst or research entity to refund any money collected as fees, charges or commissions or otherwise to the concerned clients along with the requisite interest.
- (ii) prohibiting the research analyst or research entity from operating in the capital market or accessing the capital market for a specified period.

CHAPTER V

PROCEDURE FOR ACTION IN CASE OF DEFAULT

Liability for action in case of default.

32. Research analyst or research entity who:

- (i) contravenes any of the provisions of the Act or any regulations or circulars issued thereunder;
- (ii) fails to furnish any information relating to its activity as a research analyst as required by the Board;
- (iii) furnishes to the Board information which is false or misleading in any material particular;
- (iv) does not submit periodic returns or reports as required by the Board;
- (v) does not co-operate in any enquiry, inspection or investigation conducted by the Board;
- (vi) fails to resolve the complaints or fails to give a satisfactory reply to the Board in this behalf,

shall be dealt with in the manner provided under the Act or the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.

CHAPTER VI

MISCELLANEOUS

Power of the Board to issue clarifications etc.

33. In order to remove any difficulties in the application or interpretation of these regulations, the Board may issue clarifications and guidelines in the form of circulars.

Power of the Board over body or body corporate recognized under regulation 14.

34. The Board reserves the right to alter, modify and overrule any decision, action taken or penalties imposed by the body or body corporate recognized under regulation 14.

FIRST SCHEDULE

FORM A

Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014

[See Regulations 3(2) and 11]

Application for Grant of Certificate of Registration/Renewal as Research Analyst Securities and Exchange Board of India

SEBI Bhavan, C4-A, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400051 India

INSTRUCTIONS

1. This form is meant for use by the applicant for grant of certificate of registration as a research analyst.
2. The applicant should complete this form, and submit it, along with all supporting documents to the Board at its head office at Mumbai.
3. This application form should be filled in accordance with these regulations.
4. The application shall be considered by the Board provided it is complete in all respects.
5. All answers must be legible and all the pages must be numbered with signature/ stamp on each page of the form.
6. Information which needs to be supplied in more detail may be given on separate sheets which should be attached to the application form and appropriately numbered.
7. The application must be signed.
8. The application must be accompanied by an application fee as specified in the Second Schedule to these regulations.

1. GENERAL INFORMATION

- (a) Name, address of the registered office, address for correspondence and principal place of business, telephone number(s), fax number(s), e-mail address of the applicant.
- (b) PAN of the applicant.
- (c) Whether application is for registration/ renewal. Provide registration number if the application is for renewal of certificate.
- (d) Name, direct line number, mobile number and e-mail of the contact person(s).
- (e) Date and place of incorporation/ establishment, if any. If the applicant is incorporated outside India, details of such incorporation.
- (f) Whether the applicant is engaged in preparation of research reports or research analyses prior to making application under these regulations.
- (g) Whether the applicant is registered with SEBI, RBI, IRDA or PFRDA in any capacity. If so, details of such registration.
- (h) Name and activities of associate companies/ concerns of the applicant.
- (i) Write-up on the activities of the applicant.

2. DETAILS OF APPLICANT:

- (a) Legal structure of applicant - Whether the applicant is an individual, body corporate (including company), partnership firm or limited liability partnership.
- (b) Shareholding pattern/beneficial ownership pattern of the applicant, if applicant is other than individual (Enclose identity proof and address proof of the applicant/directors/partners/beneficial owners).
- (c) Whether the applicant or research analysts employed by the applicant or partners of the applicant has/have necessary qualification as specified in regulation 7.
- (d) Number of research analysts employed by the applicant who shall engage in research analysis and/or research report preparation under these regulations on behalf of the applicant. (Provide details thereof, including self certified copies of supporting documents in respect of qualification for such research analysts employed).
- (e) Declaration by the applicant that the research analysts employed, partners of the applicant, if any, currently comply with the qualification requirements under regulation 7. (Provide self certified copies of supporting documents)
(If the applicant is an existing research analyst applying for fresh registration, then he shall provide a declaration stating that the applicant shall comply with the certification requirements for research analysts employed under these regulations and partners of the applicant, if any, within two years from the date of commencement of these regulations and shall submit a copy of the certification to the Board within fifteen days of receipt of such certification.)
- (f) Declaration by the applicant that it shall ensure that the research analyst employed and partners of the applicant, if any, comply with the certification and qualification requirements under the regulation 7 at all times including obtaining fresh certification before expiry of existing certification.
- (g) Copy of Income Tax Return/ Copy of Form 16 for the last 3 years in case of individual applicant.
- (h) Networth certificate or certified copy of assets and liabilities statement or certification of net tangible assets of the applicant certified by a chartered accountant, not more than six months old at the time of filing of application. Please note that membership number of the Chartered accountant must be included in the certificate.

3. DETAILS OF RESEARCH SERVICES

- (a) Details of the proposed research services
- (b) Details about internal policies and procedures to effectively address conflict of interest
- (c) Details about the standard disclosures to be provided

(d) Any other relevant information pertaining to research services provided

4. DETAILS OF INFRASTRUCTURE

- (a) Details of office space, office equipment, furniture and fixtures, communication facilities, research capacity, research software for undertaking research analysis.
- (b) Declaration that the applicant has the necessary infrastructure to effectively discharge the activities of research analyst.

5. OTHER INFORMATION/DECLARATIONS/ REGULATORY ACTIONS

- (a) Details of all settled and pending disputes in the last 5 years.
- (b) Whether any previous application for grant of certificate made by any person directly or indirectly connected with the applicant has been rejected by the Board; If yes, provide details of the same.
- (c) Whether any disciplinary action has been taken by the Board or any other regulatory authority against any person directly or indirectly connected with the applicant under the Act or the regulations made there under in the last 5 years. If yes, provide details of the action.
- (d) Whether the applicant/directors/promoters/ partners have been indicted/involved in any economic offence in the last 5 years. If yes, provide details of the same.
- (e) Declaration that the applicant, research analyst' employed by it, its representatives and partners, if any, are fit and proper persons based on the criteria as specified in Schedule II of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.
- (f) Declaration that the applicant shall comply with Chapter of III of the Regulations.
- (g) Any other information considered relevant to the nature of services to be rendered by the applicant.

6. DECLARATION STATEMENT

I/We hereby agree and declare that the information supplied in the application, including the attachment sheets, is complete and true.

AND I/ we further agree that, I/we shall notify the Securities and Exchange Board of India immediately any change in the information provided in the application.

I/ We further agree that I/ we shall comply with, and be bound by the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, and the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014, guidelines/instructions as may be issued by the Securities and Exchange Board of India from time to time.

I/ We further agree that as a condition of registration, I/ we shall abide by such operational instructions/directives as may be issued by the Securities and Exchange Board of India from time to time.

For and on behalf of _____

(Name of the applicant)

Authorized signatory/ Applicant

(Signature)

(Date and Place)

Form B

Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014

[See Regulation 9]

Certificate of registration as Research Analyst

I. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), read with the regulations made there under, the Board hereby grants a certificate of registration to _____ as a research analyst subject to the conditions specified in the Act and in the regulations made thereunder.

II. The Registration Number is IN/RA/_____.

III. Unless renewed, the certificate of registration is valid from _____ to _____.

Date :

Place : Mumbai

By Order

Sd/-

For and on behalf of

Securities and Exchange Board of India

SECOND SCHEDULE**Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014**

[See Regulation 3(2) and Regulation 9]

FEEs

1. Every individual applicant including partnership firms shall pay non-refundable application fees of five thousand rupees and others shall pay non-refundable application fees of fifty thousand rupees along with the application for grant or renewal of certificate of registration.
2. Applicants who are individuals or partnership firms shall pay a sum of ten thousand rupees as registration/ renewal fee at the time of grant or renewal of certificate by the Board.
3. A body corporate including limited liability partnership firm shall pay a sum of five lakh rupees as registration/ renewal fee at the time of grant or renewal of certificate by the Board.
4. Every applicant who is engaged in providing proxy advisory services shall pay non-refundable application fees of five thousand rupees with the application for grant or renewal of certificate of registration.
5. Applicants who are engaged in providing proxy advisory services shall pay a sum of ten thousand rupees as registration/ renewal fee at the time of grant or renewal of certificate by the Board.
6. The fee referred to in paragraph 1, 2, 3, 4 and 5 shall be paid by the applicant within fifteen days from the date of receipt of intimation from the Board by a demand draft in favor of 'Securities and Exchange Board of India' payable at Mumbai.

THIRD SCHEDULE

[See sub-regulation (2) of regulation 24]

CODE OF CONDUCT FOR RESEARCH ANALYST**1. Honesty and Good Faith**

Research analyst or research entity shall act honestly and in good faith.

2. Diligence

Research analyst or research entity shall act with due skill, care and diligence and shall ensure that the research report is prepared after thorough analysis.

3. Conflict of Interest

Research analyst or research entity shall effectively address conflict of interest which may affect the impartiality of its research analysis and research report and shall make appropriate disclosures to address the same.

4. Insider Trading or front running

Research analyst or research entity or its employees shall not engage in insider trading or front running or front running of its own research report.

5. Confidentiality

Research analyst or research entity or its employees shall maintain confidentiality of report till the report is made public.

6. Professional Standard

Research analyst or research entity or its employees engaged in research analysis shall observe high professional standard while preparing research report.

7. Compliance

Research analyst or research entity shall comply with all regulatory requirements applicable to the conduct of its business activities.

8. Responsibility of senior management

The senior management of research analyst or research entity shall bear primary responsibility for ensuring the maintenance of appropriate standards of conduct and adherence to proper procedures.

U.K. SINHA, CHAIRMAN

[ADVT. III/4/Exty./69 ZB/2014]